
D.V.V. CLARIFICATION

Criterion No. 7

Metric No. 7.1.10

**Supporting document for
serial numbers 2, 3 and 4**

**There is a committee to monitor
adherence to the Code of Conduct**

कार्यालय प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय खेरथा जिला बालोद छग.

// आदेश //

क्र. / जी.सी.के. / / 2016

खेरथा, दिनांक 07/10/2016

महाविद्यालय के शैक्षिकोत्तर गतिविधियों के सफल संचालन हेतु 2016-17 में निम्न समिति का गठन किया जाता है। समिति एवं सभी सदस्यों के नाम निम्नानुसार हैं।

क्र.	समिति का नाम	अधि./कर्मचारियों के नाम
1.	एटी रैगिंग समिति	संयोजक - डॉ. सुधा सोनी सदस्य - श्री यासर कुरैशी सदस्य - श्री हितेन्द्र वर्मा सदस्य - श्रीमती देवप्रभा साहू
2.	अनुशासन समिति	संयोजक - श्री यासर कुरैशी सदस्य - श्री अनिल राजपूत सदस्य - श्रीमती देवप्रभा साहू
3.	यू.जी.सी./नेट	संयोजक - श्री यासर कुरैशी सदस्य - श्री हितेन्द्र वर्मा सदस्य - श्री अनिल राजपूत
4.	सांस्कृतिक प्रभारी	संयोजक - डॉ. सुधा सोनी सदस्य - श्री अनिल राजपूत सदस्य - श्रीमती देवप्रभा साहू
5.	महिला समस्या निवारण समिति	संयोजक - डॉ. सुधा सोनी सदस्य - श्रीमती सुधा शर्मा सदस्य - श्रीमती देवप्रभा साहू
6.	छात्र संघ प्रभारी	संयोजक - डॉ. सुधा सोनी सदस्य - श्री यासर कुरैशी सदस्य - श्री हितेन्द्र वर्मा
7.	खेलकूद प्रभारी	संयोजक - श्री अनिल राजपूत सदस्य - श्री हितेन्द्र वर्मा
8.	ग्रंथालय प्रभारी	संयोजक - श्री हितेन्द्र वर्मा
9.	भौतिक सत्यापन	संयोजक - डॉ. सुधा सोनी सदस्य - श्री यासर कुरैशी
10.	क्रय समिति	संयोजक - श्री यासर कुरैशी

	सदस्य	—	श्री हितेन्द्र वर्मा
	सदस्य	—	श्री अनिल राजपूत
11. एन.एस.एस.	संयोजक	—	डॉ. सुधा सोनी
	सदस्य	—	श्रीमती देवप्रभा साहू
	सदस्य	—	श्री अनिल राजपूत
12. छात्रवृत्ति/निर्धन सहायता प्रभाषी	संयोजक	—	डॉ. सुधा सोनी
	सदस्य	—	श्रीमती देवप्रभा साहू
13. युवा उत्सव	संयोजक	—	श्री यासर कुरैशी
	सदस्य	—	श्री हितेन्द्र वर्मा
14. अध्यापन प्रभाषी	कला संकाय	—	डॉ. सुधा सोनी
	विज्ञान संकाय	—	श्री यासर कुरैशी
	वाणिज्य संकाय	—	श्री यासर कुरैशी
15. पर्यावरण समिति	संयोजक	—	श्री यासर कुरैशी
	सदस्य	—	श्रीमती देवप्रभा साहू
16. सामाजिक गतिविधि	संयोजक	—	श्री हितेन्द्र वर्मा
	सदस्य	—	श्री अनिल राजपूत
17. रेडक्रास	संयोजक	—	डॉ. सुधा सोनी
	सदस्य	—	श्री हितेन्द्र वर्मा
18. विज्ञान समिति	संयोजक	—	श्री यासर कुरैशी
	सदस्य	—	श्री हितेन्द्र वर्मा
	सदस्य	—	श्रीमती देवप्रभा साहू
19. शिक्षक अभिभावक समिति	संयोजक	—	श्री यासर कुरैशी
	सदस्य	—	श्री हितेन्द्र वर्मा
	सदस्य	—	श्री अनिल राजपूत
20. आंतरिक मूल्यांकन प्रकोष्ठ	कला संकाय	—	डॉ. सुधा सोनी
	विज्ञान संकाय	—	श्री यासर कुरैशी
	वाणिज्य संकाय	—	श्री यासर कुरैशी
21. महाविद्यालय स्वच्छता समिति	संयोजक	—	डॉ. सुधा सोनी
	सदस्य	—	श्रीमती देवप्रभा साहू
22. पूर्व विद्यार्थी समिति	संयोजक	—	श्री यासर कुरैशी
	सदस्य	—	श्री हितेन्द्र वर्मा
	सदस्य	—	श्री अनिल राजपूत
23. लेखा निरीक्षण समिति	संयोजक	—	श्री यासर कुरैशी
	सदस्य	—	श्री अनिल राजपूत
24. स्थापना शाखा निरीक्षण वेतन	संयोजक	—	डॉ. सुधा सोनी

25. निर्धारण / क्रमोन्नत
स्वीप / AISHE

सहायक	—	श्री यासर कुरैशी
संयोजक	—	श्री यासर कुरैशी
सदस्य	—	श्री हितेन्द्र वर्मा

समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



(डॉ. आलोक मिश्रा)
प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय खेरथा
जिला बालोद (छ.ग.)
Allok Mishra
Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय खेरथा जिला बालोद छ0ग0

आदेश

क0/जी0सी0के0/ 232 /2017

खेरथा, दिनांक 12/4/2017

महाविद्यालय के शैक्षणोत्तर गतिविधियों के सफल संचालन हेतु सत्र 2017-18 निम्न संशोधित समिति का गठन किया जाता है। समिति एवं सभी सदस्यों के नाम निम्नानुसार है।

क0	समिति का नाम	अधि0/कर्मचारियों का नाम
1.	एण्टी रैमिंग समिति	संयोजक - डॉ0 सुधा सोनी सदस्य - श्री यासर कुरैशी सदस्य - श्री उमेश कुमार पाठक ✓ सदस्य - श्री हितेन्द्र वर्मा सदस्य - श्रीमती देवप्रभा साहू
2.	अनुशासन समिति	संयोजक- श्री यासर कुरैशी सहायक- श्री उमेश कुमार पाठक ✓ सदस्य - अनिल राजपूत सदस्य - श्रीमती देवप्रभा साहू
3.	यू0जी0सी0/नेट	संयोजक - श्री यासर कुरैशी सहायक- श्री उमेश कुमार पाठक ✓ सदस्य - श्री हितेन्द्र वर्मा
4.	सांस्कृतिक प्रभारी	संयोजक - श्री यासर कुरैशी सहायक- श्री उमेश कुमार पाठक ✓ सदस्य - श्री हितेन्द्र वर्मा सदस्य - श्रीमती देवप्रभा साहू
5.	महिला समस्या निवारण समिति	संयोजक - डॉ0 सुधा सोनी सदस्य - श्रीमती सुधा शर्मा सदस्य - कु0 देवप्रभा साहू
6.	छात्रसंघ प्रभारी	संयोजक - डॉ0 सुधा सोनी सहायक - श्री यासर कुरैशी सहायक- श्री उमेश कुमार पाठक ✓ सदस्य श्री अनिल राजपूत
7.	खेलकूद प्रभारी	श्री अनिल राजपूत श्री हितेन्द्र वर्मा
8.	ग्रंथालय प्रभारी	श्री हितेन्द्र वर्मा
9.	भौतिक सत्यापन	संयोजक - डॉ0 सुधा सोनी सदस्य - श्री यासर कुरैशी
10.	क्रय समिति	संयोजक - डॉ0 सुधा सोनी सदस्य - श्री यासर कुरैशी सदस्य - श्री उमेश कुमार पाठक ✓ संयोजक - श्री उमेश कुमार पाठक ✓ सदस्य - कु0 देवप्रभा साहू सदस्य श्री अनिल राजपूत

11 एन0एस0एस0



Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)

छात्रवृत्ति / निर्धन सहायता प्रभासी		संयोजक - डॉ० सुधा सोनी
		सदस्य - श्री उमेश कुमार पाठक
		सदस्य - श्रीमती सुधा शर्मा
		सदस्य - श्री अनिल राजपूत
		श्री हितेन्द्र वर्मा
13. युवा उत्सव	-	श्री अनिल राजपूत
14. अध्यापन प्रभासी	-	कला संकाय - डॉ० सुधा सोनी
		विज्ञान संकाय - श्री यासर कुरैशी
		वाणिज्य संकाय - श्री उमेश कुमार पाठक ✓
15. पर्यावरण समिति	-	संयोजक - डॉ० सुधा सोनी
16. सामाजिक गतिविधि	-	सदस्य - श्रीमती देवप्रभा साहू
		संयोजक - श्री उमेश कुमार पाठक ✓
17. रेडक्रॉस	-	सदस्य - श्री अनिल राजपूत
		संयोजक - श्री उमेश कुमार पाठक ✓
		सदस्य - श्री अनिल राजपूत
18. विज्ञान समिति	-	सदस्य - श्री हितेन्द्र वर्मा
		संयोजक - श्री यासर कुरैशी
		सदस्य - श्रीमती देवप्रभा साहू
		सदस्य - श्री हितेन्द्र वर्मा
19. निर्धन छात्रवृत्ति समिति	-	सदस्य - श्री अनिल राजपूत
		संयोजक - डॉ० सुधा सोनी
		सहायक - श्री उमेश कुमार पाठक ✓
20. शिक्षक अभिभावक समिति	-	सदस्य - श्रीमती सुधा शर्मा
		संयोजक - श्री यासर कुरैशी
		सहायक - श्री उमेश कुमार पाठक ✓
		सदस्य - अनिल राजपूत
21. आंतरिक मूल्यांकन प्रकोष्ठ	-	सदस्य - श्री हितेन्द्र वर्मा
		कला संकाय - डॉ० सुधा सोनी
		विज्ञान संकाय - श्री यासर कुरैशी
22. महाविद्यालय स्वच्छता समिति	-	वाणिज्य संकाय - श्री उमेश कुमार पाठक ✓
		संयोजक - डॉ० सुधा सोनी
23. पूर्व विद्यार्थी समिति	-	सदस्य - श्रीमती देवप्रभा साहू
		संयोजक - श्री यासर कुरैशी
		सहायक - श्री उमेश कुमार पाठक ✓
		सदस्य - अनिल राजपूत
24. लेखा निरीक्षण समिति	-	सदस्य - श्री हितेन्द्र वर्मा
		संयोजक - श्री यासर कुरैशी
		सहायक - श्री उमेश कुमार पाठक ✓
25. स्थापना शाखा निरीक्षण	-	सदस्य - श्री हितेन्द्र वर्मा
वेतन निर्धारण / कर्मचारियों	-	संयोजक - श्री यासर कुरैशी
26. स्वीप / AISHE	-	सहायक - श्री उमेश कुमार पाठक ✓
		संयोजक - श्री उमेश कुमार पाठक
		सदस्य - अनिल राजपूत
		सदस्य - श्री हितेन्द्र वर्मा

समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को सूदनार्थ एवं पालनार्थ ।



Principal
Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)

41
(डॉ० उ)

शासकीय म
जिला-३

कार्यालय प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय खेरथा जिला बालोद छग

// आदेश //

क्र. / जी सी के / / 2018

खेरथा, दिनांक 28/08/2018

महाविद्यालय के शैक्षणेत्तर गतिविधियों के सफल संचालन हेतु 2018-19 में निम्न समिति का गठन किया जाता है। समिति एवं सभी सदस्यों के नाम निम्नानुसार है।

क्र.	समिति का नाम	अधि./कर्मचारियों के नाम
1.	एंटी रैगिंग समिति	संयोजक - डॉ. सुधा सोनी सदस्य - श्री यासर कुरैशी सदस्य - डॉ. रुबीना अल्वी सदस्य - श्रीमती देवप्रभा साहू
2.	अनुशासन समिति	संयोजक - श्री यासर कुरैशी सदस्य - श्री उमेश पाठक सदस्य - श्रीमती देवप्रभा साहू
3.	यू.जी.सी./नेट	संयोजक - श्री यासर कुरैशी सहायक - श्री उमेश पाठक सदस्य - श्री हितेन्द्र वर्मा सदस्य - श्री अनिल राजपूत
4.	सांस्कृतिक प्रभासी	संयोजक - डॉ. सुधा सोनी सहायक - श्री उमेश पाठक सदस्य - श्री अनिल राजपूत सदस्य - श्रीमती देवप्रभा साहू
5.	महिला समस्या निवारण समिति	संयोजक - डॉ. सुधा सोनी सदस्य - श्रीमती देवप्रभा साहू
6.	छात्र संघ प्रभासी	संयोजक - डॉ. सुधा सोनी सहायक - श्री उमेश पाठक
7.	खेलकूद प्रभासी	संयोजक - श्री उमेश पाठक सदस्य - श्री हितेन्द्र वर्मा सदस्य - श्री अनिल राजपूत
8.	ग्रंथालय प्रभासी	संयोजक - श्री हितेन्द्र वर्मा
9.	भौतिक सत्यापन	संयोजक - डॉ. सुधा सोनी सदस्य - श्री उमेश पाठक

	संयोजक	-	श्री यासर कुरैशी
	सहायक	-	श्री उमेश पाठक
	सदस्य	-	श्री हितेन्द्र वर्मा
	सदस्य	-	श्री अनिल राजपूत
11	एन.एस.एस.	-	श्री उमेश पाठक
	सदस्य	-	श्रीमती देवप्रभा साहू
	सदस्य	-	श्री अमिल राजपूत
12	छात्रवृत्ति/निर्धन सहायता प्रभारी	-	डॉ. सुधा सोनी
	संयोजक	-	श्रीमती देवप्रभा साहू
13	युवा उत्सव	-	श्री उमेश पाठक
	सदस्य	-	श्री हितेन्द्र वर्मा
14	अध्यापन प्रभारी	-	डॉ. सुधा सोनी
	कला संकाय	-	श्री यासर कुरैशी
	विज्ञान संकाय	-	श्री उमेश पाठक
15	पर्यावरण समिति	-	श्री यासर कुरैशी
	संयोजक	-	श्रीमती देवप्रभा साहू
16	सामाजिक गतिविधि	-	श्री उमेश पाठक
	सदस्य	-	श्री हितेन्द्र वर्मा
17	रेडक्रास	-	श्री उमेश पाठक
	संयोजक	-	श्री अनिल राजपूत
18	विज्ञान समिति	-	श्री यासर कुरैशी
	सदस्य	-	श्री हितेन्द्र वर्मा
	सदस्य	-	श्रीमती देवप्रभा साहू
19	शिक्षक अभिभावक समिति	-	श्री यासर कुरैशी
	संयोजक	-	श्री उमेश पाठक
	सहायक	-	श्री हितेन्द्र वर्मा
	सदस्य	-	श्री अनिल राजपूत
20	आंतरिक मूल्यांकन प्रकोष्ठ	-	डॉ. सुधा सोनी
	कला संकाय	-	श्री यासर कुरैशी
	विज्ञान संकाय	-	श्री उमेश पाठक
21	महाविद्यालय स्वच्छता समिति	-	डॉ. सुधा सोनी
	वाणिज्य संकाय	-	श्रीमती देवप्रभा साहू
	संयोजक	-	श्री यासर कुरैशी
22	पूर्व विद्यार्थी समिति	-	श्री उमेश पाठक
	सदस्य	-	श्री हितेन्द्र वर्मा
	सहायक	-	
	सदस्य	-	

लेखा निरिक्षण समिति	सदस्य	-	श्री अनिल राजपूत
	संयोजक	-	श्री यासर कुरैशी
	सहायक	-	श्री उमेश पाठक
24. स्थापना शाखा निरिक्षण वेतन	सदस्य	-	श्री अनिल राजपूत
निर्धारण / क्रमोन्नत	संयोजक	-	डॉ. सुधा सोनी
25. स्वीप / AISHE	सहायक	-	श्री उमेश पाठक
	संयोजक	-	श्री यासर कुरैशी
	सहायक	-	श्री उमेश पाठक
26. आई.क्यू.ए.सी.	सदस्य	-	श्री हितेन्द्र वर्मा
	संयोजक	-	श्री उमेश पाठक

समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



(डॉ. आलोक मिश्रा)
 प्राचार्य
 शासकीय महाविद्यालय खेरथा
 जिला बालोद (छ.ग.)
 Principal,
 Govt. College, Khertha
 Distt. Balod (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय खेरथा जिला बालोद छ0ग0
आदेश

क0/जी0सी0कै0/ 680 /2019

खेरथा दिनांक 08/11/2019

महाविद्यालय के शिक्षणोत्तर गतिविधियों के सफल संचालन हेतु सत्र 2019-20 निम्न संशोधित समिति का गठन किया जाता है। समिति एवं सभी सदस्यों के नाम निम्नानुसार हैं।

क0	समिति का नाम	अधि0/कर्मचारियों का नाम
1	एनटी रेजिग समिति	संयोजक - डॉ0 सुधा सोनी सदस्य - श्री उमेश कुमार पाठक सदस्य - श्रीमती देवप्रभा साहू
2	अनुशासन समिति	संयोजक- डॉ0 सुधा सोनी सहायक- श्री उमेश कुमार पाठक सदस्य - श्रीमती देवप्रभा साहू
3	यू0 जी0सी0/नट	संयोजक - श्री यासर करेशी सहायक- श्री उमेश कुमार पाठक
4	सांस्कृतिक प्रचार	संयोजक - डॉ0 सुधा सोनी सहायक- श्री उमेश कुमार पाठक सदस्य - श्रीमती देवप्रभा साहू
5	संयोजक समिति नियंत्रण समिति	संयोजक - डॉ0 सुधा सोनी सदस्य - श्रीमती सुधा शर्मा सदस्य - श्रीमती देवप्रभा साहू
6	शाला प्रचार	संयोजक - डॉ0 सुधा सोनी सहायक- श्री उमेश कुमार पाठक
7	खेलकूद प्रचार	श्री उमेश कुमार पाठक श्री महानंद सोनी
8	गणित प्रचार	श्रीमती देवप्रभा साहू
9	नौटंकी संस्थापन	संयोजक - डॉ0 सुधा सोनी सदस्य - श्री उमेश कुमार पाठक
10	कृषि समिति	संयोजक - डॉ0 सुधा सोनी सदस्य - श्री उमेश कुमार पाठक सदस्य - श्रीमती देवप्रभा साहू
11	एन0एस0एस0	संयोजक - श्री उमेश कुमार पाठक सदस्य - श्रीमती देवप्रभा साहू



Dumir
Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)

12 छात्रवृत्ति / निर्धन सहायता प्रभासी

संयोजक - डॉ० सुधा सानी
सदस्य - श्री उमेश कुमार पाटक
सदस्य - श्रीमती सुधा शर्मा

13 युवा उत्सव

संयोजक - डॉ० सुधा सानी
सदस्य - श्रीमती देवप्रभा साहू

14 अध्ययन प्रभासी

कला सहाय - डॉ० सुधा सानी
विज्ञान सहाय - श्री उमेश कुमार पाटक
वाणिज्य सहाय - श्री उमेश कुमार पाटक

15 पर्यावरण समिति

संयोजक - डॉ० सुधा सानी
सदस्य - श्रीमती देवप्रभा साहू

16 सामाजिक गतिविधि

संयोजक - श्री उमेश कुमार पाटक
सदस्य - श्रीमती देवप्रभा साहू

17 रेडक्रॉस

संयोजक - श्री उमेश कुमार पाटक
सदस्य - श्रीमती देवप्रभा साहू

18 विज्ञान समिति

संयोजक - श्री यासर कुरेशी
सदस्य - श्रीमती देवप्रभा साहू

19 निर्धन छात्रवृत्ति समिति

संयोजक - डॉ० सुधा सानी
सहायक - श्री उमेश कुमार पाटक
सदस्य - श्रीमती सुधा शर्मा

20 शिक्षक अभिभावक समिति

संयोजक - श्री यासर कुरेशी
सहायक - श्री उमेश कुमार पाटक
सदस्य - श्रीमती सुधा शर्मा

21 संयोजक मूल्यांकन प्रकाश

कला सहाय - डॉ० सुधा सानी
विज्ञान सहाय - श्री उमेश कुमार पाटक
वाणिज्य सहाय - श्री उमेश कुमार पाटक

22 महाविद्यालय स्वास्थ्य समिति

संयोजक - डॉ० सुधा सानी
सदस्य - श्रीमती देवप्रभा साहू

23 पूर्व विद्यार्थी समिति

संयोजक - श्री यासर कुरेशी
सहायक - श्री उमेश कुमार पाटक
सदस्य - श्रीमती देवप्रभा साहू

24 लिंगांतराक्षण समिति

संयोजक - श्री यासर कुरेशी
सहायक - श्री उमेश कुमार पाटक
सदस्य - श्रीमती देवप्रभा साहू

25 कक्षागत कार्य समिति

संयोजक - श्री यासर कुरेशी
सहायक - श्री उमेश कुमार पाटक
सदस्य - श्रीमती देवप्रभा साहू

26 स्थाप

संयोजक - श्री उमेश कुमार पाटक
सहायक - श्री उमेश कुमार पाटक

27 आई०क्यू०ए०सी



समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को सूचनाएं एवं पालनाएं

शासकीय महाविद्यालय खरथा
जिला-बांलाद छ०ग०।

Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, खैरथा जिला - बालोद (छ.ग.)
email [govtcollege_khertha@rediffmail.com]

क्र० / 32 / 20

खैरथा दिनांक 24 / 08 / 2020

आदेश

महाविद्यालय के शिक्षणोत्तर गतिविधियों के सफल संचालन हेतु सत्र 2020-21 निम्न संशोधित समिति का गठन किया जाता है। समिति एवं सभी सदस्यों के नाम निम्नानुसार है।

क्र.	समिति का नाम	अध्यो/कर्मचारियों का नाम
1.	एण्ट्री रेगिंग समिति	संयोजक - डॉ० सुधा सोनी सदस्य - श्री उमेश पाठक सदस्य - श्रीमति देवप्रभा साहू
2.	अनुशासन समिति	संयोजक - श्री उमेश पाठक सदस्य - श्रीमति देवप्रभा साहू
3.	यूजीसी/नैक	संयोजक - श्री उमेश कुमार पाठक सदस्य - डॉ० सुधा सोनी सदस्य - श्रीमति देवप्रभा साहू
4.	सांस्कृतिक	संयोजक - डॉ० सुधा सोनी सहायक - श्री उमेश कुमार पाठक
5.	महिला समस्या निवारण समिति	संयोजक - डॉ० सुधा सोनी सदस्य - श्रीमति सुधा शर्मा सदस्य - श्रीमति देवप्रभा साहू
6.	छात्रसंघ	संयोजक - डॉ० सुधा सोनी सहायक - श्री उमेश कुमार पाठक सदस्य - श्रीमति देवप्रभा साहू
7.	खेलकूद	संयोजक - श्री उमेश कुमार पाठक
8.	ग्रंथालय	संयोजक - श्रीमति देवप्रभा साहू
9.	भौतिक सत्यापन	संयोजक - डॉ० सुधा सोनी सदस्य - श्रीमति देवप्रभा साहू
10.	क्रय समिति	संयोजक - डॉ० सुधा सोनी सदस्य - श्रीमति देवप्रभा साहू सदस्य - श्रीमति सुधा शर्मा
11.	एन०एस०एस०	संयोजक - श्री उमेश कुमार पाठक



Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)

12	छात्रवृत्ति / निर्धन सहायता प्रभारी	सदस्य - श्रीमति देवप्रभा साहू संयोजक - डॉ० सुधा सोनी संयोजक - श्री उमेश कुमार पाठक सदस्य - श्रीमति देवप्रभा साहू
13	युवा उत्सव	संयोजक - श्री उमेश कुमार पाठक सदस्य - श्रीमति देवप्रभा साहू
14	अध्यापन प्रभारी	कला संकाय - डॉ० सुधा सोनी विज्ञान संकाय - डॉ० सुधा सोनी वाणिज्य संकाय - श्री उमेश कुमार पाठक
15	पर्यावरण समिति	संयोजक - डॉ० सुधा सोनी सदस्य - श्रीमति देवप्रभा साहू
16	समाजिक गतिविधि	संयोजक - श्री उमेश कुमार पाठक सदस्य - श्रीमति देवप्रभा साहू
17	रेडक्रॉस	संयोजक - डॉ० सुधा सोनी सदस्य - श्रीमति सुधा शर्मा सदस्य - श्रीमति देवप्रभा साहू
18	विज्ञान समिति	संयोजक - श्री उमेश कुमार पाठक सदस्य - श्रीमति देवप्रभा साहू
19	निर्धन छात्रवृत्ति समिति	संयोजक - डॉ० सुधा सोनी सदस्य - श्री उमेश कुमार पाठक सदस्य - श्रीमति सुधा शर्मा
20	शिक्षक अभिभावक समिति	संयोजक - डॉ० सुधा सोनी सहायक - श्री उमेश कुमार पाठक सदस्य - श्रीमति देवप्रभा साहू
21	आंतरिक मूल्यांकन प्रकोष्ठ	कला संकाय - डॉ० सुधा सोनी विज्ञान संकाय - श्री उमेश कुमार पाठक वाणिज्य संकाय - उमेश कुमार पाठक
22	महाविद्यालय स्वच्छता समिति	संयोजक - डॉ० सुधा सोनी सदस्य - श्रीमति देवप्रभा साहू
23	पूर्व विद्यार्थी समिति	संयोजक - श्री उमेश कुमार पाठक सदस्य - श्रीमति देवप्रभा साहू
24	लेखा निरीक्षण समिति	संयोजक - डॉ० सुधा सोनी सहायक - श्रीमति देवप्रभा साहू
	अध्यापना शाखा निरीक्षण वृत्तन परिचालन / क्रमोन्मत्त /	संयोजक - डॉ० सुधा सोनी सहायक - श्री उमेश कुमार पाठक



Principals
Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)

26.	स्वीप	संयोजक श्री उमेश कुमार पाठक सदस्य - डॉ० सुधा सोनी
-----	-------	--

समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को सूचनार्थ ।



Dumai
Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)

Dumai
 24/8/2020
 (यासर कुरैशी)
 प्राचार्य
 शासकीय महाविद्यालय खेरथा
 जिला बालोद

Ganga



**COLLEGE KHERTHA (C.G.)
CODE OF CONDUCT
COMMITTEE REGISTER**

OFFICE OF GOVT. COLLEGE KHERTHA DIST. BALOD.
"CODE OF CONDUCT"

DATE: 17-08-2015

Students are expected to maintain the highest level of discipline and dignified manner of behaviour inside as well as outside the College Campus. They shall abide by the rules and regulation of the College and should act in a way that highlights the discipline and esteem of the College.

The following Principle has "Code of Conduct":

1. Responsibility to the Profession.
2. Responsibility for professional Competence.
3. Responsibility to Students.
4. Responsibility to the College Community.
5. Responsible and Ethical use of Technology.

The Code of Conduct has following Committee member: —

1. Principal, Dr. Alok Mishra - chairperson (Officio)
2. IQAC - CO-ORDINATOR - Mr. Yaser Qureshi - Ex-officio
3. NAAC - Convenor - Mr. Yaser Qureshi - Ex-officio
4. Head Clerk - Mr. G.D. Vachanani - Ex-officio
5. Mr. Hitenendra Verma — Member.
6. Mr. Anil Rajput — Member
7. Mrs. Deepshikha Satw — Member.

Alok Mishra
Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय खेरथा, बालोद

॥ छठक ॥

दिनांक : 13/08/2016

आज दिनांक 13/08/2016 को प्राचार्य कक्षा में दोपहर 3.00 बजे Code of Conduct की बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे :-

1. डॉ. सुधा सोनी - 5
2. श्री शास्त्र कुंझी
3. श्री जी. डी. लक्ष्मण
4. श्री रितेन्द्र वर्मा - रितेन्द्र
5. श्री अनिल शायत - अनिल
6. श्रीमती देवप्रभा शर्मा - श्रीमती

शासकीय महाविद्यालय, खेरथा
जिला बालोद (छ. ग.)

छठक में उपस्थित समिति के सदस्यों को प्राचार्य द्वारा निम्न निर्देश दिए गए -

1. सर्वप्रथम प्राचार्य द्वारा समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् Code of Conduct क्या होता है तथा इसे महाविद्यालय में लागू करने हेतु किन नियमों का पालन करना पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

2. प्राचार्य द्वारा निर्देशित किया गया कि व्यवस्थापक द्वारा जारी मान्यार संकेत का पालन करना आवश्यक होगा। यदि कोई छात्र/छात्रा इसका पालन नहीं करता/करती उसे विवश अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

3. नए सत्र में सामांजन लेने वाले छात्रों को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध करायी जाएगी तथा शपथ पत्र भी ली जाएगी के संबंध में निर्देश दिए गए।



4. "Code of Conduct" के अंतर्गत प्राचार्य, प्राध्यापकों, तथा अन्य कर्माधिकारियों को भी मार्गदर्शिका से अवगत होना तथा पालन करना भी आवश्यक माना गया।

5. प्राचार्य द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि सभित को व्यवस्थापक, व्यवस्थापक के मेडर डायरेक्टर ऑफिस पर नजर करना जाना चाहिए तथा महाविद्यालय में बागों के लिए व्यवस्थापक सेल, सभित रजिस्ट्रार ऑफिस और सभित रजिस्ट्रार ऑफिस का गठन प्रभावी तरीके से किया जाना चाहिए।

6. प्राचार्य द्वारा निर्देशित किया गया कि "Code of Conduct" पब्लिशिंग पर भी उपलब्ध किया जाना चाहिए।

कार्यालय प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय खैरथा, बालोद

॥ बँठक ॥

दिनांक 19-12-16

आज दिनांक 19-12-16 को प्राचार्य कक्ष में डेप्युटि
डायरेक्टर एवं Convener, Convener Committee
की बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न
अधिकाारी। कुमचारी उपस्थित रहे:-

1. डॉ. सुधा सौनी - Chair
2. श्री यासर कुर्बानी
3. श्री मंगल बाबूपत - Member
4. डॉ. चन्द्रकुमार बाबुजिर - Member
5. श्री अमित अग्रवाल - Member
6. श्रीमती देवप्रभा साहू - Member

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय, खैरथा
जिला बालोद (म. ग.)

बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों द्वारा को
प्राचार्य द्वारा निम्न निर्देश दिए गए:-

1. प्राचार्य द्वारा समिति को निर्देशित किया गया कि
Convener में छात्र छात्रों को लेब ग्राफी चलाकर
परिस्तर के अंदर अनुपान पर पाबंदी, सोशल
मिडिया पर संरक्षा से अन्य व्यवस्थाओं के बारे
में अनुमानपत्र दिवसीय नहीं करना तथा
बिना डी बॉरी गतिविधि में भाग नहीं
लेना जो संस्था के हितों व प्रतिष्ठा को
प्रभावित कर सकता है। पर विशेष
ध्यान माधुनिक विद्यालय - बालोद

2. समिति द्वारा आचरण संदिता के अंतर्गत
पत्रिका में उपलब्ध की जाने के
संबंध में प्राचार्य को जानकारी दी गई।

जिसमें विद्यार्थियों के लिए 40 बिन्दुओं पर Code of Conduct का लिखित डब्लेव बेनू लताया गया जिसका पालन सिपेंसर्स को बिया पाना आवश्यक है

3. समिति द्वारा यह भी लताया गया कि शिक्षण के एवं गैर शिक्षण के कार्य के लिए भी "Code of Conduct" बनाए गए हैं जिसे website में upload कर दिया गया है।

4. प्राचार्य द्वारा teaching तथा Non-teaching स्टाफ को workplace & professional relationship के अंतर्गत आचरण संदिता का पालन करना सुनिश्चित किए जाने के लिए निर्देशित किया गया।

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय खेरथा, बालोद

॥ बौंठक ॥

दिनांक 21-8-27

आज दिनांक 21-8-27 को "Cover of Convent
Communication" की बौंठक प्रचार्य कक्ष में दीपक
उपस्थित आयोजित की गई जिसमें निम्न
अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे-

1. डॉ. सुधा सोनी - DC
2. श्री यासर कुरैशी
3. श्री हितेंद्र वर्मा - हिरेन्द्र
4. श्री अनिल रायपूत - Anil
5. श्रीमती देवप्रभा साहू - DP

आचार्य,
शासकीय महाविद्यालय, खेरथा
जिला बालोद (छ. ग.)

बौंठक में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों को प्राचार्य
द्वारा निम्न निर्देश दिए गए-

1. नवप्रवेशित छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय के
आचरण संविदा से अवगत कराने तथा साफ
सफाई एवं अनुशासन का पालन करने हेतु
निर्देशित किया गया।

2. आचरण संविदा की जानकारी प्रवेश विवरणिका
तथा प्लैकडों पर प्रदर्शित होने की
जानकारी छात्र/छात्राओं को दी जाने के
संबंध में समिति को प्राचार्य द्वारा
निर्देश दिए गए।

3. महाविद्यालय में महत्वपूर्ण छात्र एवं छात्राओं
की जानकारी फर्मवर्स के माध्यम से
तथा हेल्पलाइन नम्बर जारी करने हेतु
निर्देश दिए गए।



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय खैरथा, बालोद

॥ बैठक ॥

“पालन प्रतिवेदन” दिनांक 25-01-18

आज दिनांक 25-01-18 को “Cover of copy”
“Cover of copy” की बैठक आयोजित की गई जिसमें
निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे—

1. डॉ. सुधा सोनी - ~~हजेर~~
2. श्री यासर कुरैशी - ~~हजेर~~
3. श्री उमेश पाठक - ~~हजेर~~
4. श्री हितेंद्र वर्मा - ~~हजेर~~
5. डॉ. चन्दकुमार गजमिर - ~~हजेर~~
6. श्री केमल रावटे - ~~हजेर~~
7. डॉ. रवीना अल्की - ~~हजेर~~
8. श्रीमती देवप्रभा साहू - ~~हजेर~~

Account
प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय, खैरथा
बालोद (छ. ग.)

बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों द्वारा प्राचार्य
के समक्ष निम्न पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया
गया—

1. पूर्व बैठक में प्राचार्य महोदय द्वारा दिए गए
निर्देशों का पालन करते हुए समिति द्वारा
बताया गया कि सभी छात्र/छात्राओं एवं
स्टाफ को आचरण संहिता के नियमों की
प्राप्तकरी प्रदान की जा चुकी है तथा सभी
नियमों का पालन छात्र/छात्राओं द्वारा किया
जा रहा है संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत किया
गया।

2. *Anti Ragging* के अंतर्गत किसी प्रकार का
अपेदन तथा धमकान जैसी बिया महाविद्यालय
न होना पाया गया। छात्र/छात्राओं द्वारा
महाविद्यालय

3. महाविद्यालय परिसर में विभिन्न गतिविधि एवं
 CWS के लिए Hapterliner प्रोग्राम चला
 दिए गए हैं तथा छात्र छात्राओं
 द्वारा डोनरपत्रों का वितरण की साध-
 नवाई की जाती है।

4. समिति द्वारा विभिन्न माध्यमों से आधार
 संहिता से अवगत कराने तथा उसका
 पालन करने के लिए प्रेरित किए जाने के
 संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए।

Aswini Mishra
 माध्याय
 शासकीय महाविद्यालय, खैरथा
 जिला बालोद (छ. ग.)



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय खैरथा, बालोद

॥ छठक ॥

दिनांक: 20/08/18

आप दिनांक 20/08/18 को Code of Conduct की बैठक प्राचार्य कक्ष में Conduct होप हर उ. व. एवं आयोजित की गई जिसमें निम्न सदस्य गण उपस्थित रहे -

1. डॉ. सुधा खोनी - Secy
2. श्री यासर कुरैशी
3. श्री उमेश पाठक
4. डॉ. रवीना अह्वी - HOD
5. डॉ. चन्द्रबुमार गजमिरा
6. श्री हितेन्द्र वर्मा - HOD
7. श्रीमती देवप्रभा साहू - Secy

Alumish
प्राचार्य,

शासकीय महाविद्यालय, खैरथा
जिला बालोद (छ. ग.)

छठक में उपस्थित समिति के सदस्यों के निम्न निर्देश दिए गए -

(1) बैठक में उपस्थित सभी समिति के सदस्यों को Code of Conduct के अंतर्गत punctuality, Casual leave, or leave without pay का पालन करने हेतु निर्देश दिए गए

(2) सभी teaching staff को State/University/National/International level Symposium/Workshop/Conferences में सम्मिलित होने हेतु Special permission लेने के संबंध में निर्देश दिए गए।

3. Salary Disbursement, EPF Basic Contribution, management के संबंध में पालन करने हेतु निर्देशित किया गया

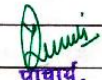


कुर्थाखेत, प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय खैरथा, बालोद
॥ "पालन - प्रविदेन" ॥
॥ बरठ ॥

दिनांक 21.01.19

आज दिनांक 21.01.19 को प्राचार्य कक्ष में दोपहर 3.00 बजे Code of Conduct Commission की बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे -

- (1) डॉ. सुधा सोनी - ~~SSD~~
- (2) श्री उमेश पाठक - ~~SSD~~
- (3) डॉ. चन्द्रबुद्ध गजबिरा - ~~SSD~~
- (4) श्री कोमल रावटे - ~~SSD~~
- (5) श्रीमती देवप्रभा व्यास - ~~SSD~~


प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय, खैरथा
जिला बालोद (छ. ग.)

बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों द्वारा निम्न पालन - प्रविदेन प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत किए गए -

- (1) पूर्व बैठक में की गई चर्चा अनुसार छात्र/छात्राओं को Attendance, Rules, and Regulations की जानकारी तथा महाविद्यालय से समय-समय पर दी जाने वाली दिशा-निर्देशों का पालन कड़ाई से करने प्रसारित की जा चुकी है। इसके संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए।



- (2) महाविद्यालय के गैरनिष्ठ तथा गैरसमय पर आने वाले छात्रों को समस्त आवश्यकताओं की जानकारी तथा समय-समय पर कृत्य पालन के नियमों के पालन की आवश्यकता से अवगत कराया गया।

- (3) समस्त प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राओं को गतिविधियों हेतु कथित जाने जाने आवश्यकताओं की जानकारी तथा

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय खेस्था, बालोद

॥ बैठक ॥

दिनांक 15-07-19

आज दिनांक 15/07/19 को प्राचार्य कक्ष में
भाचार संहिता समिति की बैठक आयोजित की
गई जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित
रहे:-

1. डॉ. सुधा सोनी - *Dr. Sudha Soni*
2. श्री उमेश पाठक - *Shri. Umesh Pathak*
3. श्रीमती देवप्रभा साहू - *Shrimati. Devprabha Sahu*

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय, खेस्था
जिला बालोद (छ. ग.)

बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों को प्राचार्य
द्वारा निम्न निर्देश दिए गए-

(1) प्राचार्य द्वारा निर्देश दिए गए कि वर्तमान सत्र में
नवप्रवेशित छात्रा छात्रों को Code of Conduct
की ध्यानवारी पढ़ाने की धानी-चारि
युं गेंड: *Interruption, Smoking, respect of
faculty, appearing of all kind of
exams. etc.*

(2) सभी स्टाफ को College के vision/mission
को ध्यान में रखकर कार्य करने तथा
*Student development, planning, monitoring,
reporting and providing feedback.*
के निर्देशित किया गया।

(3) Teaching staff को university
निर्धारित समय सीमा पूर्ण करने तथा सभी
COVID-19 protocol का पालन करने
के निर्देशित किया गया।



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय खैरथा, बालोद

॥ बैठक ॥

दिनांक 13-01-20

आज दिनांक 13-01-20 को महाविद्यालय में "Code of Conduct Committee" की बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे:-

1. डा. सुधा सोनी
2. श्री उमेश पाठक
3. श्रीमती देवपुष्पा झा

शासकीय महाविद्यालय, खैरथा
जिला बालोद (म. ग.)

बैठक में उपस्थित सदस्यों को प्राचार्य द्वारा निम्न निर्देश दिए गए-

1. प्राचार्य द्वारा समिति के सदस्यों को निर्देशित किया गया कि महाविद्यालय में प्रवेशित छात्र/छात्रों को Integreter Values of integrity, equality, freedom of expression से अवगत कराया जावे।

2. The main objective is to impart knowledge and formal education to girls.

3. Code of Conduct में मुख्य उद्देश्य Students, teachers, college level committees को Rules & Regulation से familiar करना है।

4. प्राचार्य द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त के संबंध में यदि कोई छात्र नहीं करता है या नियमों के विरुद्ध कार्य करता है उसे विरुद्ध कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।



5. Code of Conduct & Use guidelines
on Safety of Students on and
off Campuses of Higher Educational
का परिसर सुनिश्चित किया जाना है।

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय खेरथा, बालोद

1 अक्टूबर 11

30.9.20

आज दिनांक 30.9.20 को Code of Conduct

केन्द्रों की बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे:

1. डॉ. सुधा सोनी - *G. Secy*

2. श्री उमेश पाठक - *Prin.*

3. श्रीमती देवप्रभा साह - *Prin.*

शासकीय महाविद्यालय, खेरथा
जिला बालोद (छ. ग.)

बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों को प्राचार्य द्वारा निम्न निर्देश प्रदान किए गए -

1. सर्वप्रथम प्राचार्य द्वारा COVID-19 के जोखिम को पालन कड़ाई से करने हेतु निर्देशित किया गया। COVID-19 के लागूकरण के संबंध में प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक स्तर के माध्यम से जानकारी प्रसारित की जाने हेतु निर्देशित किया गया।

2. Website पर Code of Conduct के अंतर्गत COVID-19 में Vaccination, Dose-1 completed & Dose-2 completed teachers Staff की जानकारी upload करने हेतु निर्देशित किया गया।

3. New enrolled students को Rights and Responsibilities की जानकारी कार्यक्रम के माध्यम से दी जानी चाहिए। सभी programme online माध्यम से होने हेतु निर्देश दिए गए।

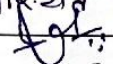


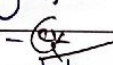
कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय खैरथा, बालोद

॥ बैठक ॥
"पालन प्रतिवेदन" दिनांक 02-01-21

आज

आज दिनांक 02-01-21 को "Over all conduct"
केन्द्र की बैठक प्राचार्य कक्ष में दोपहर
3.00 बजे आयोजित की गई जिसमें निम्न
अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे:—

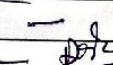
1. श्री उमेश पाठक — 

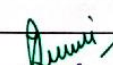
2. डा. चन्दुमार गजभिर — 

3. श्री अमित अग्रवाल — 

4. श्री कमल रावते — 

5. श्रीमती विनीता गजभिर — 

6. श्रीमती देवप्रभा झा — 


प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय, खैरथा
जिला बालोद (छ. ग.)

बैठक में समिति द्वारा प्राचार्य के समक्ष निम्न विवरण
/पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया:—

1. पूर्व बैठक में निर्देशों का पालन करते हुए
CONTD-19 लागू करता हेतु पर्यवेक्षण तथा
पर्यवेक्षण के माध्यम से जानकारी प्रदान
की गई।

2. डाटाबेस के महाविद्यालय के आचार कानून
की जानकारी online माध्यम से दी गई।

3. सभी छात्र/छात्रों को Smoking, Smoking
की जानकारी एवं कार्यवाही के निर्देशों से
अवगत कराया गया।

4. सभी Staff को Biometric mark
पत्र करने के लिए प्रेरित किया गया
तथा नोटिस के माध्यम से सूचित किया
गया।



5. सभी छात्रा छात्राओं, स्टाफ तथा अन्य
समितियों के सभी सदस्यों के
Cover पत्र Convener की जानकारी दी
गई तथा Rules, Regulations, ग्रन्थ
से अवगत कराया गया।

कार्यालय प्रचार्य, शासकीय महाविद्यालय खेरथा, बालोद

॥ बौठक ॥

31-8-21

आज दिनांक 31-8-21 को "Code of Conduct"

Committee की बैठक प्रचार्य कक्ष में आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारी

उपस्थित रहे:-

1. श्री उमेश पाठक

2. श्रीमती देवप्रभा झाड़ू

3. श्री आशीष गौतम

4. श्री दीपक हरिहरनो

बैठक में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी का प्रचार्य द्वारा निम्न निर्देश दिए गए।
प्रचार्य,
शासकीय महाविद्यालय, खेरथा
जिला बालोद (छ. ग.)

1. सभी नवप्रवेशित छात्र/छात्राओं को Code of Conduct की जानकारी प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया।

2. NAAC सूचकांक के अंतर्गत Code of Conduct हेतु कार्यरत आयोजित करने तथा पालन प्रतिवेदन बनाकर प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिए गए।

3. Website को update कर महाविद्यालय की आवश्यक जानकारी, नियमों का इलेक्ट्रॉनिक रूप से आने हेतु निर्देशित किया गया।

4. Anti-ragging से संबंधित फ्लैक्स तथा कार्यरत का आयोजन करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए। महिला समस्या निवारण से संबंधित दिशा निर्देश तथा Help Line No. को उपलब्ध करने हेतु

कार्यालय प्राचार्य, ब्राह्मकीय महाविद्यालय खैरथा, बालोद

॥ पालन प्रतिवेदन ॥

दिनांक: 12-10-21

आज दिनांक 12-10-21 को Code of Committee

द्वारा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे -

1. श्री उमेश पाठक
2. डॉ. चन्द्रकुमार गजमिश्र
3. श्री अमित अग्रवाल
4. श्री कौमल रावटे
5. श्रीमती यामिनी झा
6. श्रीमती देवप्रभा झा

लॉक में समिति द्वारा प्राचार्य के समक्ष निम्न पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया -

1. पूर्व लॉक में लिए गए निर्णय अनुसार छहम वर्ष / नवप्रवेशित छात्र छात्राओं के लिए "INDUCTION PROGRAM" का आयोजन किया गया जिसमें सभी छात्र छात्राओं को महाविद्यालय के नियमों, कार्यकुशल तथा आयोजन के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

2. Code of Conduct की Handbook, website पर upload कर दी गई है जिसमें Teachers, Students, Academic, Non-Academic Staff के लिए नियमों की जानकारी प्रदान की गई है।

3. Vocational Counselling cell के No. को update कर कैंपस के माध्यम



से जानकारी प्रसारित की जा रही है।

4. Code of Conduct Committee की

पालन प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण को प्राचार्य
द्वारा सुराखा गया तथा सम्बन्धित व्यक्त
की गई।

**Institution organizes professional
ethics programmes for teachers**

उत्तम नैतिक आचार विचार का संचार पर विमर्श

बैठक

आज दिनांक २/७/२०१७ को प्राचार्य के निर्देशानुसार सेमीनार हॉल में शिक्षकों में उत्तम नैतिक आचार विचार का संचार हेतु बैठक रखी गई जिसमें निम्न अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे-

- (१) डॉ. रुधा सोनी
- (२) श्री उमेश कुमार पाठक
- (३) श्रीमती देव उमा साहू
- (४) श्री कोमल रावत
- (५) श्रीमती साहू
- (६) डॉ. जयन्त कुमार गजपति
- (७) श्री अमर नाथक
- (८) श्री राजा सिंह
- (९) श्री विकास

इस बैठक में निम्न विचार विमर्श किये गये

- ① सभी शिक्षकों के नीचे नैतिक व्यवहार का पालन करने उ.ग.द. द्वारा निर्धारित शिक्षकों के व्यवहार का पालन करना
- ② उच्च शिक्षा विभाग द.ग. द्वारा निर्धारित विभिन्न सेवा आचरण आधिनियम आदि का पालन

करने हेतु उचित करना।

- ② विद्यार्थियों के साथ मधुर संबंध स्थापित करना।

उक्त बैठक में सभी उपस्थित सदस्यों ने इस हेतु अपनी सहमति व्यक्त की।



Principal
Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)

उत्तम नैतिक आचार विचार का संचार पर विमर्श

आज दिनांक 25/03/2024 को केसीनार हॉल में अनुसंधान में पाठ्यावलोकन (साहित्यिक चोरी) के बारे में विद्यार्थियों की कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें प्रा. स. न. जी. महाविद्यालय दिल्लीवाल्मजरा के डॉ. धर्मेन्द्र सिंह सहायक उपाध्यक्ष (वाणिज्य) विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित थे।

उन्होंने निम्न विचार व्यक्त किये -

- (1) पाठ्यावलोकन एक पारदर्शक प्रणाली है जहाँ हमें बचना है।
- (2) पाठ्यावलोकन को चेक करने हेतु इन्विज्वाइल जैसे ORANGE TURNITIN आदि उपलब्ध हैं इसकी सहायता की राह का पता लगा सकते हैं।
- (3) अपनी किसी भी रिपोर्ट पेपर, थीसिस को लिखते समय कॉपी प्लेगियर ना करे अपने मौखिक विचार लिखें।

आदि बातों को बताया।

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| (4) श्री उमेश पाठक | (5) श्री तिलक राजपूत |
| (6) श्री चंद्रकुमार गजमिटर | (7) श्री यामिनी साहू |
| (8) श्री मनोज साहू | (9) श्री विधि सोनी |
| (10) श्री जेम्स साहू | (11) श्री मती विनीता |
| (12) श्री अश्वित अग्रवाल | (13) श्री मती देवज्या |

Principal,

Govt. College, Khertha

Distt. Balesar (G.O.)

**Annual awareness programmes on
Code of Conduct are organized**

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय बरेilly

INDUCTION PROGRAM

दिनांक 11/10/2021

आज दिनांक 11-10-21 को महाविद्यालय के सैमीनार हॉल में बी.ए. प्रथम वर्ष, बी.एस.सी. प्रथम वर्ष, बी.कॉम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए INDUCTION PROGRAM का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महाविद्यालय के संबंध में समस्त जानकारी विद्यार्थियों को प्रदान किया गया जिसमें महाविद्यालय के नीतिनियमों सुविधाओं एवं विषय संबंधी जानकारियां प्रदान करते हुए अनुशासन के साथ महाविद्यालय में अध्ययन कार्य करने को कहा गया।

महाविद्यालय के प्राचार्य श्री यासर कुर्दी ने नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय के नीति नियमों एवं आचार संहिता के बारे में जानकारी प्रदान किया गया। उन्होंने बेगिंग संबंधी नियमों और कानून के बारे में जानकारी प्रदान किया। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व अति आवश्यक है। अनुशासन का पालन करते हुए महाविद्यालय में अध्ययन कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया।

भूगोल विषय के प्राध्यापक श्री उमेश पाठक ने छात्रों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लक्ष्य निर्धारण, एकाग्रता एवं समर्पण के साथ परिश्रम करने को कहा।

सांस्कृतिक एवं आदीत्यिक गतिविधियों का उल्लेख करते हुए विभिन्न गतिविधियों जैसे - खेलकूद, रेडक्रास, राष्ट्रीय सेवा योजना, स्वच्छता कार्यक्रम, कैरियर मार्गदर्शन, धुवा दिवस व गोदाम के बारे में विस्तार से जानकारियां दी।

महाविद्यालय की प्रयोगशाला तकनीशियन श्रीमती देवप्रभा साहू ने भी छात्रों को उपलब्ध सुविधाएं जैसे पुस्तकालय व जिसमें आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हैं। साथ ही साथ छात्रों को मॉडर्न कम्यूनिटी रूम व कंप्यूटर क्लास की सुविधाएं के बारे में जानकारियां दी और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी।

कार्यक्रम में निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे:-

1. श्री रासर कुर्खी (प्राचार्य)
2. श्री उमेश पाठक
3. श्रीमती देवप्रभा साहू



[Signature]
Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)

उपरिष्ठत छात्रों के नाम

Date _____
Page _____

क्र.	नाम	पिता का नाम	कक्षा	मोबा. नंबर
	सुनीलकांत	भुषण लाल	BA	6268729949
	हेक्टर	जगदीश राम	BA	6268757396
	अनिरुध	कुंश राम	BA	6269688072
	लेखराज	रामाधार	BA	9399388350
	हार्द राम	लक्ष्म राम	BA	6267450036
	अतीश कुमार	मनू लाल	BA	6268851643
	रागिनी	सुरेन्द्र लाल	BA	8085716480
	गायत्री	विष्णु कुमार	BA	7828862181
	कुमिका	दिलीप कुमार	BA	6268858526
	विठ्ठल (राजेश कुमार)	विष्णु कुमार	BA	7805932371
	सुधा	मिहाय सिंह	BA	8283820769
	गोपी राम	सुरेश राम	BA	6163780763
	अमता प्रसाद	मोहन लाल	B.A.	6260211643
	विजय कुमार	मनसुख लाल	B.A.	9399395993
	रिणेश कुमार	बालुन्द राणा	B.A.	7470431457
	गुरुदेव चंद	गुरुदेव	B.A.	6268258576
	लोकनाथ	रामधन ठाकुर	B.A.	7489579076
	सुखील कुमार	रोहित ठाकुर	B.A.	6267834548
	जितेन्द्र कुमार	पल्लू राम	B.A.	6268234915
	रोहन कुमार	रस कुमार	B.A.	9926251022
	दिपेश कुमार	ताम्रेश्वर सिंह	B.A.	7587717169
	रोमेन्द्र कुमार	लेखराम	B.N.	7974364736
	नीलकंठ	दीनबन्धु	B.N.	9691682069
	अथ प्रकाश	खेमन लाल	BSC	8815727139
	अपेक्षा कुमार	राधे लाल	BSC	6267990106
	हर्षेन्द्र कुमार	विशोक कुमार	BSC	7974515038
	सदीप कुमार साहू	राज कुमार साहू	B.COM.	9109078330
	पार्वती सोनकर	दुल्लू राम सोनकर	B.A.	626264555895
	लीना देवागन	रेवा राम	B.A.	6267431084
	वागेश्वरी	पल्लू राम	B.S.C	9343118935

क्र.	नाम	पिता का नाम	कक्षा	मो. नं.
	रुक्मिणी ठाकुर	ईश्वर लाल ठाकुर	B.A	877046974
	भारदा भुमार	कुंजलाल भुमार	B.Sc	909815897
	उषा कर्ति	कमलराम कर्ति	B.Sc	934324342
	क. विक्रमवरी	श्रीमान कुमललाल	B.S.C.I	789843917
	क. कामिनी	श्रीमान विजय कुमार	B.A.	6268168457
	क. माधुरी यादव	श्रीमान इतम कुमार	B.S.C.I	7389430520
	-दिव्या	श्री. चतुरराम	B.S.C.I	9098914536
	कु. गीता	श्रीमान बंशीराम	B.S.C.I	8305931091
	कु. गायत्री	श्री. मनोहर कुंज	B.Com	8970940678
	क. किरण	श्रीमान रामजी	B.COM	8718805339
	क. ज्योति	श्रीमान प्रमन्य कुमार	B.Com	6268157084
	क. अमिता	श्री. धर्मराम	B.Com	7489706024
	कु. प्रमता	श्रीमान बलराम	B.COM	9301367506
	कु. मीनिता	श्री गजधर	B.Sc.I	6268158420
	क. रोमा	श्री. केदारनाथ	B.Sc	6268092504
	कु. संजना	श्री. लालकुमार	B.Sc	7000188587
	कु. प्रियंका	श्री. गोविंद राम	B.Sc	9790256623
	कु. प्रविभा	श्री राजेन्द्र कुमार	B.A	7389522571
	क. प्रियंका	श्री. लक्ष्मण	B.Sc	6268558739
	मनीषा सिन्हा	रूपेश सिन्हा	B.S.C	6262166437
	कु. दिना चैणव	इंदरदास	B.Sc	9617199401
	कु. पायल साहू	श्री. हरिचन्द्र साहू	B.Sc	9685446852
	कु. मायावती साहू	श्री. गणेशराम साहू	B.Sc	7898092485
	माधुरी देवांगन	श्री. सुबोध कुमार	B.Sc	9343300650
	निशा साहू	सुबोध साहू	B.A	8253066980
	वितेश्वरी परेल	समराम राम	B.A	6264706969
	दिशा साहू	धनंजय साहू	B.A	6267316348
	प्रिया शानवर	विष्णुराम	B.COM	934334599
	अमृता	धनंजय राम	B.COM	626649660

क्र.	नाम	पिता का नाम	कक्षा	मो. नं.
	कु. चौदनी	विरेंद्र कुमार	B.Com	75 87 7175
	निशा साहू	हजल लाल साहू	BA	8305916350
	दीना	जीवन लाल	B.S.C.	8817313445
	भुनेश्वरी	श्रीजीत राम	B.S.C.	86267825087
	वन्दना साहू	देवदास साहू	B.Com	6267339308
	वीणा	राजेश राम	B.S.C.	9179155338
	रणुका साहू	राम कुमार	B.A.	6268760766
	आमनेवरी	हरीलाल	B.Com	626761628
	दामिनी	गोदू राम	B.A.	9301779188
	रानु	रोहित कुमार	B.A.	7470624479
	वन्दना	सुकेखा गीरी	B.A.	6265965906
	उवासना साहसी	भुनेश्वर साहसी	B.A.	7000746153
	रबीना सिन्हा	लोहेश्वर प्रसाद	B.A.	6267874783
	रमा राणा	जगन्नाथ राम राणा	B.A.	6267712640
	आमिनी सिन्हा	गोकुल राम सिन्हा	B.A.	7723848556
	निशा	जगन्नाथ राम राणा	B.A.	8817917012
	इश्वरी दले	अजुन दले	B.S.C.	9302457832
	दिव्या	राजेश कुमार साहू	B.S.C.	6268799049
	रिवेश्वरी	लुकाराम	B.S.C.	86020741068
	मिनाक्षी	गुलाब सिंह	B.S.C.	6264725868
	गजानाजली	तारुण कुमार	B.S.C.	8103029009
	लोहेश्वरी	केशराम	B.S.C.	8815767305
	मिडिना	महेन्द्र कुमार	B.A.	7205009433
	सोनखी	कामला राम	B.S.C.	9301947091
	अमन	पिताम्बर लाल	B.S.C.	6268727428
	इश्वरी	नकुल राम ठाकुर	B.Co	6268301947
	आयुष दीप	टी. डी. दीप	B.S.C.	8253094068
	सुकेखा कुमार	श्री. अरुण राम साहू	B.S.C.	9181958188



Unnamed Road, Chhattisgarh 491771, India



Chhattisgarh

India

30°C

86°F

2021-10-11(Mon) 12:55(pm)



Govt. College Khertha

गवर्नमेंट
कोलेज खेरथा

Bharnabhat
भार्नाबहत

Google



Unnamed Road, Chhattisgarh 491771, India



Chhattisgarh
India

30°C
86°F

2021-10-11(Mon) 12:51(pm)



Govt. College Khertha
गवर्नमेंट
कॉलेज खैरथा

Bharnabhat
भार्नाबहत

Google

Policy Document on Code of Ethics



OFFICE OF THE PRINCIPAL
Govt. College Khertha Distt. Balod (C.G.)

email:- govtcollegekhertha491771@gmail.com

principal@govtcollegekhertha.in

govtcollege_khertha@rediffmail.com

<http://www.govtcollegekhertha.in>

Landline no. +91 7748 299900

mobile no. +91 9981426786

Policy document on code of ethics

CODE OF ETHICS FOR STUDENTS

1. Treat Institute teachers, administrators, officers, employees, guests and visitors, and other students with respect, dignity, impartiality, courtesy, and sensitivity.
2. Academic honesty and punctuality are mandatory in the completion of the assigned tasks as an individual and/ or a peer group.
3. Regularity to the college is a must and every student shall take the responsibility of keeping oneself informed of the academic responsibilities to be fulfilled in time.
4. Violations of academic conduct like cheating on an exam, plagiarism or unauthorized presentation of collaborative work will make the student liable for punishment.
5. Avoid any activity or behavior that would unfairly give advantage or disadvantage to another student academically.
6. Stealing, misusing, destroying, defacing, or damaging college property or personal property of others is prohibited.
7. Refrain from getting involved in or encouraging any sort of discrimination, harassment, or bullying of employees and other students.
8. Posting derogatory comments about individuals of the Institute on social media or indulging in any such related activities having grave ramifications on the reputation of the Institute is prohibited.
9. Possession, consumption, or distribution of alcoholic drinks or any kind of narcotics or hallucinogenic drugs is prohibited.
10. Use of cell phones on the campus is other than academic purposes is prohibited.
12. Audio or video recording in classrooms or actions of other students, faculty, or staff shall not be done without prior permission.

Co-ordinator, I.Q.A.C
Govt. College Khertha, Distt. Balod



Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)

Page no. 1



OFFICE OF THE PRINCIPAL
Govt. College Khertha Distt. Balod (C.G.)

email:- govtcollegekhertha491771@gmail.com
principal@govtcollegekhertha.in
govtcollege_khertha@rediffmail.com

<http://www.govtcollegekhertha.in>
Landline no. +91 7748 299900
mobile no. +91 9981426786

Code of conduct for Teachers, official & other staff

1. Every teacher shall, at all times, maintain integrity, be devoted to duty and also be honest and impartial in his / her official dealings. A teacher shall, at all times, be well-mannered in his / her dealings with the management, with other members of staff, students, and with members of the public.
2. Unless otherwise stated specifically in the terms of appointment, every teacher is a whole-time teacher of the Institute and may be called upon to perform such duties as may be assigned to him/her by the competent authority beyond the scheduled working hours and on holidays and Sundays.
3. A teacher shall be required to maintain the scheduled hours of work during which he /she must be present at the place of his / her duty. No teacher shall be absent from duty without prior permission. Even during leave or vacation, with the prior permission of the competent authority, whenever leaving the station, a teacher should inform the Principal in writing.
4. No teacher shall take part in politics, or be associated with any political party or organization which takes part in political activity, nor shall subscribe, aid, or assist in any manner any political movement or activity.
5. No teacher shall make any statement, publish or write through any media which has the effect of an adverse criticism of any policy or action of the Institute.
6. No teacher, except with the prior permission of the competent authority, engages, directly, or indirectly in any trade or business or any private tuition, or undertake any employment outside his official assignments.
7. A teacher, against whom insolvency proceedings commenced in a court of law, shall forthwith report full facts thereof to the Institute.
8. A teacher, against whom criminal proceedings are initiated in a court of law, shall immediately inform the competent authority of the Institute regarding the details thereof. Teachers and other staff will also provide information about their previous cases of misconduct/irregularity before joining the institution failing they will be liable for stringent action.
9. No teacher shall, except with the prior sanction of the competent authority, have recourse to any court of law or the press / media for / against any official act of the Institute.

Page no. 2

Co-ordinator, I.Q.A.C
Govt. College Khertha, Distt. Balod



Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL
Govt. College Khertha Distt. Balod (C.G.)

email:- govtcollegekhertha491771@gmail.com
principal@govtcollegekhertha.in
govtcollege_khertha@rediffmail.com

<http://www.govtcollegekhertha.in>
Landline no. +91 7748 299900
mobile no. +91 9981426786

10. No teacher, who has a living spouse, shall contract another marriage without first obtaining the permission of the competent authority, even if a subsequent marriage is permissible under the personal and religious law for the time applying to him /her. Violation of this rule will lead to removal from the service of the institution.

11. Whenever any teacher wishes to put forth any claim or seeks redressal of any grievance, he/she must forward his / her case through the proper channel to the competent authority only and shall not send copies of any such applications as an advance copy to the higher authorities unless the competent authority has rejected the claim or refused relief or the matter is delayed beyond a reasonable time.

12. Every teacher shall be governed by these rules and shall be liable for consequences in the event of any breach of the rules by him / her.

13. . An teacher who commits any offense or dereliction of duty, or does an act detrimental to the interests of the Institute, is subject to an inquiry and punishment by the competent authority. Any teacher who is aggrieved with the decision of the competent authority may appeal against such punishment or decision, within 15 days of the receipt of the orders of the decision, to the Competent Authority and the decision of the Competent Authority thereon is final.

14. No teacher shall engage in strike or incitement thereto or similar activities such as absence from work, or neglect of duties, or participate in hunger strike etc. Violation of this rule will amount to misconduct and will attract deterrent punishment.

15. The institute takes note of serious misbehavior, insubordination, habitual tardiness, irregular work habits or obscenity which is punishable by fine, suspension, or dismissal. The Institute is declared an alcohol-smoke-drug-free area and offenders face dismissal.


Co-ordinator, I.Q.A.C
Govt. College Khertha, Distt. Balod




Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)

Proceeding of the monitoring committee

॥ वंठक ॥

आज दिनांक 13/08/2016 को प्राचार्य कुक्ष में दोपहर 3.00 बजे Code of Conduct की बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे :-

1. डॉ. सुधा सोनी - 5
2. श्री शास्त्र कुर्मी - 1
3. श्री जी. डी. वर्णन - 1
4. श्री चित्तेन्द्र वर्मा - 1
5. श्री अनिल शायत - 1
6. श्रीमती देवप्रभा शर्मा - 1

मासकीय महाविद्यालय, खेरथा
जिला बालोद (छ. ग.)

लैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों को प्राचार्य द्वारा निम्न निर्देश दिए गए -

1. सर्वप्रथम प्राचार्य द्वारा समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् व्यवस्थापक बोर्ड होता है तथा इसे महाविद्यालय में लागू करने हेतु किन नियमों का पालन करना पक महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

2. प्राचर्य हरा निर्देवित विया गया वि
लवपल्लवों हरा जारी मान्यर संहित व
पालन वरना भाववयड लीगा। यदि कोई हरा
हारा इसका पालन नहीं करता है उनसे
शिवदाय अनुशासनात्मक वरपावी की जायेगी।

3. नर रात्र में माताकुन लेने वाले द्वात्रो डो
मार्गद्विष्टि की प्रति उपलब्ध कराये जावेगी
तथा शपथ पत्र भी लब निर जाने डे संबंध
में निर्देश दिर गर।

4. "Code of Conduct" के अंतर्गत प्राचार्य प्राध्यापकों, तथा अन्य कर्माधिकारियों को भी मार्गदर्शिका से अवगत केना तथा पालन करना भी आवश्यक माना गया।

5. प्राचार्य द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि समिति को व्यवस्थापक, व्यवस्थापक से लेकर डायरेक्टर ऑफ़ पब्लिक पर नजर करना जाना चाहिए तथा महाविद्यालय में छात्रों के लिए व्यवस्थापक से, शिक्षक, शिक्षक से लेकर छात्रों के बीच का गठन प्रभावी तरीके से किया जाना चाहिए।

6. प्राचार्य द्वारा निर्देशित किया गया कि "Code of Conduct" पब्लिशिंग पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय खैरथा, धाबोद

॥ बॉठक ॥

दिनांक 19-12-16

आज दिनांक 19-12-16 को प्राचार्य कक्षा में दोपहर 3:00 बजे "Code of Conduct" के बॉठक आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे:-

1. डॉ. सुधा सौनी - ~~Present~~
2. श्री यासर बुर्रानी - ~~Present~~
3. श्री मनिष बाबूपत - ~~Present~~
4. डॉ. चन्द्रकुमार बाबुजि - ~~Present~~
5. श्री अमित अग्रवाल - ~~Present~~
6. श्रीमती देवप्रभा खाडू - ~~Present~~

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय, खैरथा
जिला धाबोद (घ. ग.)

बॉठक में उपस्थित समिति के सदस्यों द्वारा को प्राचार्य द्वारा निम्न निर्देश दिए गए-

1. प्राचार्य द्वारा समिति को निर्देशित किया गया कि व्यवस्थापक में छात्रों के बीच छात्रों के बीच गाड़ी चलाने परिसर के अंदर घुसपान पर पाबंदी, सोशल मिडिया पर संरक्षण से अन्य व्यक्तियों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां नहीं करना तथा किसी भी जादूरी गतिविधि में भाग नहीं लेना जो संस्था के हितों व प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकता है/ पर निगेस व्यवस्थापन माधुर्षित किया जाना चाहिए।



2. समिति द्वारा आचरण संदिग्ध के व्यवस्थापक में व्यवस्थापक की जाने के संबंध में प्राचार्य को जानकारी दी गई।

जिसमें विद्यार्थियों के लिए 40 बिन्दुओं पर Cover of Complaint का लिखित ड्रॉइंग बना लिया गया जिसका पालन निम्नलिखित के बिना करना आवश्यक है।

3. समिति द्वारा यह भी सुझाया गया कि शिकायत एवं गैर शिकायत दोनों के लिए भी "Cover of Complaint" बनाए गए हैं जिसे हफ्तावार में अपलोड कर दिया गया है।

4. प्राचार्य द्वारा teaching तथा Non-teaching स्टाफ के workplace & professional Relationship के अंतर्गत आचरण संहिता का पालन करना सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय खैरथा, धौलपुर

॥ बँक ॥

दिनांक 21-8-22

आज दिनांक 21-8-22 को "Cover of Complaint Complaint" की बँक प्रचार्य कक्ष में दोपहर 3:00 बजे आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे-

1. डॉ. सुधा सोनी - D.C.
2. श्री यासक कुरैशी
3. श्री हितेंद्र वर्मा - डिप्टी
4. श्री अनिल रायपूत - प्रिन्सिपल
5. श्रीमती देवप्रभा साहू - प्रिन्सिपल

प्रचार्य,
शासकीय महाविद्यालय, खैरथा
जिला धौलपुर (घ. ग.)

बँक में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों को प्राचार्य द्वारा निम्न निर्देश दिए गए-

1. नवप्रवेशित छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय के आचरण संहिता से अवगत कराने तथा साफ सफाई एवं अनुशासन का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया।

2. आचरण संहिता की जानकारी प्रवेश विभागिका तथा एडमिशन पर उपस्थित होने की जानकारी छात्र/छात्राओं को दी जाने के संबंध में समिति को प्राचार्य द्वारा निर्देश दिए गए।

3. महाविद्यालय में महत्वपूर्ण Cell एवं कमरों की जानकारी फर्म्स के माध्यम से तथा टेलीफोन नम्बर जारी करने हेतु निर्देश दिए गए।



4. महाविद्यालय में लगे Botanical garden के पौधों की सुरक्षा तथा अन्य लैब उपकरणों के रख रखाव एवं प्रयोग में सावधानी भी आचरण संदिता के अंतर्गत पालनार्थ होगा। इसकी जानकारी छात्रों छात्राओं को दिया जाना चाहिए।

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय खैरथा, बाली

॥ बैठक ॥

“पालन प्रतिवेदन” दिनांक 25-01-18

आज दिनांक 25-01-18 को “College of Agriculture” छात्रावास की बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे -

1. डॉ. सुधा सोनी - ~~Head~~
2. श्री यासर कुर्बो - ~~Head~~
3. श्री उमेश पाठक - ~~Head~~
4. श्री हितेंद्र वर्मा - ~~Head~~
5. डॉ. चन्द कुमार गज्जर - ~~Head~~
6. श्री केमल रावटे - ~~Head~~
7. डॉ. रबीना अली - ~~Head~~
8. श्रीमती देवप्रभा साहू - ~~Head~~

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय, खैरथा
बाली (छ. ग.)

बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों द्वारा प्राचार्य के समक्ष निम्न पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया -

1. पूर्व बैठक में प्राचार्य महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए समिति द्वारा बताया गया कि सभी छात्र/छात्राओं एवं स्टाफ को आचरण संदिता के नियमों की जानकारी प्रदान की जा चुकी है तथा सभी नियमों का पालन छात्र/छात्राओं द्वारा किया जा रहा है संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

2. Anti Ragging के अंतर्गत किसी प्रकार का अप्रतिबंध तथा धमकाना किसी विद्यार्थी को नहीं होना पाया गया। छात्र/छात्राओं द्वारा महाविद्यालय

3. महाविद्यालय परिसर में विभिन्न गतिविधि एवं
Camp के लिए Mapsheet No. जारी
दिए गए हैं तथा छात्र/छात्राओं
द्वारा इनकाटर्न गुजरने की साव-
धानी की जाती है।

4. समिति द्वारा विभिन्न माध्यमों से आचार
संहिता से अवगत कराने तथा उसका
पालन करने हेतु प्रेरित किए जाने के
संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए।

Handwritten signature
माध्यम
शासकीय महाविद्यालय, खेड़ा
जिला गालोद (छ. ग.)



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय खेड़ा, बालोद

11/08/18

दिनांक: 20/08/18

आज दिनांक 20/08/18 को Code of Conduct की
बैठक प्राचार्य कक्ष में Conduct सेपरेट रूप
व्यवस्था आयोजित की गई जिसमें निम्न सदस्य
गण उपस्थित रहे -

1. डॉ. सुधा सोनी - *Chairman*
2. श्री रासर बुरेबा
3. श्री अमेश पाठक
4. डॉ. रवीजा अन्वी - *Secretary*
5. डॉ. चन्द्रकुमार गजमिर
6. श्री हितेंद्र वर्मा - *Member*
7. श्रीमती देवप्री साहू - *Member*

Handwritten signature
प्राचार्य,

शासकीय महाविद्यालय, खेड़ा
जिला गालोद (छ. ग.)

बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों के निम्न
निर्देश दिए गए -

(1) बैठक में उपस्थित सभी समिति के सदस्यों को
Code of Conduct के अंतर्गत punctuality,
Casual leave, or leave without pay
का पालन करने हेतु निर्देश दिए गए।

(2) सभी teaching staff को State/University/
National/International level के
Symposium/Workshop/Conferences
में सम्मिलित होने हेतु Special permission
लेने के संबंध में निर्देश दिए गए।

3. Salary Disbursement, EPF Basic
Contribution, management के संबंध में
पालन करने हेतु निर्देशित दिया गया।



- (4) सभी नवप्रवेशित छात्र/छात्रों को महाविद्यालय के नियमों की जानकारी एवं पालन करने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यालय प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय खेरथा, बालोद
॥ पालन प्रतिवेदन ॥
॥ बरक ॥

दिनांक: 21.01.19

आज दिनांक 21.01.19 को प्राचार्य कक्ष में दोपहर 3.00 बजे Code of Conduct Examination की बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे -

- (1) डी. सुधा सोनी - SSon
- (2) श्री उमेश पाठक - UP
- (3) डॉ. चन्द्रबुद्ध गजबिरा - CB
- (4) श्री कोमल रमटे - CR
- (5) श्रीमती देवप्रभा व्यास - DB


प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय, खेरथा
जिला बालोद (छ. ग.)

बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों द्वारा निम्न पालन-प्रतिवेदन प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत किए गए -

- (1) पूर्व बैठक में की गई चर्चा अनुसार छात्र/छात्रों को Attendance, Rules, एवं Examination की जानकारी तथा महाविद्यालय से समय-समय पर दी जाने वाली दिशा-निर्देशों का पालन कड़ाई से करने प्रसारित की जा चुकी है। वे अपने-अपने में रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए।



- (2) महाविद्यालय के शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक स्तरों को समस्त निवासी/अनिवासी की जानकारी तथा समय एवं कर्तव्य पालन के नियमों के पालन से अवगत कराया गया।

- (3) समस्त प्रथम वर्ष के छात्र/छात्रों को गतिविधियों हेतु कसबे जाने वाले नियमों की जानकारी

उसमें सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय खेस्था, बालोद

॥ बॉर्डर ॥

दिनांक 15-07-19

आज दिनांक 15/07/19 को प्राचार्य कक्ष में
भाषा संहिता समिति की बैठक आयोजित की
गई जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित
रहे:-

1. डॉ. सुषमा सोनी - Head
2. श्री उमेश पाठक - Asst.
3. श्रीमती देवप्रभा साहू - Asst.

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय, खेस्था
जिला बालोद (छ. ग.)

बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों को प्राचार्य
द्वारा निम्न निर्देश दिए गए-

1) प्राचार्य द्वारा निर्देश दिए गए कि वर्तमान सत्र में
नवप्रवेशित छात्रा छात्रों को Code of Conduct
की ध्यानवारी पढ़ाने की धानी-चारित्र
गुणों पर ध्यान देना, Singing, respect of
faculty, appearing of all kind of
exam. etc.

2) सभी स्टाफ को College के vision/mission
को ध्यान में रखकर कार्य करने तथा
Student development, planning, monitoring,
reporting and providing feedback.
को निर्देशित किया गया।

3) Teaching staff को university
निर्धारित समय सीमा पूर्ण करने तथा सभी
COVID-19 निर्णयों का पालन करने
को निर्देशित किया गया।



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय खैरथा, बालोद

॥ बैठक ॥

दिनांक 13-01-20

आज दिनांक 13-01-20 को महाविद्यालय में "Convener Convener" की बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे:-

1. डॉ. सुधा सोनी
2. श्री उमेश पाठक
3. श्रीमती देवप्रभा झा

शासकीय महाविद्यालय, खैरथा
जिला बालोद (छ. ग.)

बैठक में उपस्थित सदस्यों को प्राचार्य द्वारा निम्न निर्देश दिए गए-

1. प्राचार्य द्वारा समिति के सदस्यों को निर्देशित किया गया कि महाविद्यालय में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को उत्तुंगता, Values of integrity, quality, freedom of expression से अवगत कराया जावे।

2. The main objective is to impart knowledge and formal education to girls.

3. Code of conduct में मुख्य उद्देश्य Students, teachers, college level committees को Rule & Regulation से familiar कराना है।

4. प्राचार्य द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त के संबंध में यदि कोई पाबंद नहीं करता है या नियमों के विरुद्ध कार्य करता है उसे विरुद्ध कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।



5. Code of Conduct में Use guidelines on Safety of Students on and off Campuses of Higher Educational का पर्यावरण सुनिश्चित किया जाना है।

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय खैरथा, बालोद

1 अक्टूबर ॥

30.9.20

आज दिनांक 30.9.20 को Code of Conduct

के अंतर्गत की बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे:

1. डॉ. सुधा सोनी - Principal

2. श्री उमेश पाठक - Asst. Prof.

3. श्रीमती देवप्रभा साह - Asst. Prof.

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय, खैरथा
जिला बालोद (छ. ग.)

बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों को प्राचार्य द्वारा निम्न निर्देश प्रदान किए गए -

1. सर्वप्रथम प्राचार्य द्वारा COVID-19 के ओटोकॉल पालन कड़ाई से करने हेतु निर्देशित किया गया। COVID-19 के लागूकरण के संबंध में एम्बेस्सी एवं एम्बेस्सी के माध्यम से जानकारी प्रसारित की जाने हेतु निर्देशित किया गया।

2. website में code of Conduct के अंतर्गत COVID-19 में Vaccination, Dose-1 completed & Dose-2 completed teachers, Staff की जानकारी upload करने हेतु निर्देशित किया गया।

3. New Enrolled Students के Rights and Responsibilities की जानकारी कार्यक्रम के माध्यम से दी जानी चाहिए। सभी प्रशिक्षण एवं माध्यम से किया जाने हेतु निर्देश दिए गए।



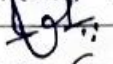
4. सभी छात्र/छात्रों के wechatapp group या अन्य social media वे माध्यम मातृविद्यालय के नियमों का उल्लंघन करते पाये जाने पर लिखित सूचना एवं कार्यवाही बिया जाना चाहिये।

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय खैरथा, बालोद

॥ बँठकु ॥
"पावन प्रतिवेदन" दिनांक 02-01-21

आज

आज दिनांक 02-01-21 को "Good by conduct" सम्बन्धी बैठक प्राचार्य कक्ष में दोपहर 3:00 बजे आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे:—

1. श्री उमेश पाठक — 

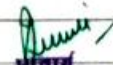
2. श्री चन्दु कुमार गजबिस् — 

3. श्री अमित अगवाल — 

4. श्री कमल रावते — 

5. श्रीमती विनीता गजबिस् — 

6. श्रीमती देवप्रभा झाड़ू — 


प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय, खैरथा
जिला बालोद (छ. ग.)

बैठक में समिति द्वारा प्राचार्य के समक्ष निम्न विवरण/पावन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया:—

1. पूर्व बैठक में निर्देशों का पालन करते हुए 07/01/21 को छात्रों को wechatapp तथा whatsapp वे माध्यम से जानकारी प्रदान की गई।

2. Students को महाविद्यालय के आचार संहिता की जानकारी online माध्यम से दी गई।

3. सभी छात्र/छात्रों को Ragging, Smoking की जानकारी एवं कार्यवाही के निम्नलिखित अंगत कराया गया।

4. सभी Staff को Biometric machine का पार करके वे लिफ्ट प्रेडित बिया गया तथा नोटिस वे माध्यम से सूचित किया गया।



5. सभी छात्र/छात्राओं, स्टाफ तथा अन्य समितियों के सभी सदस्यों के Code of Conduct की जानकारी दी गई तथा Rules, Regulations, Manual से अवगत कराया गया।

कार्यालय प्रचार्य, शासकीय महाविद्यालय खैरथा, बालोद,

॥ बॉर्डर ॥

31-8-21

आज दिनांक 31-8-21 को "Code of Conduct" सम्मेलन की बॉर्डर प्रचार्य कक्ष में आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे:-

1. श्री उमेश पाठक
2. श्रीमती देवप्रभा झा
3. श्री आशीष गौतम
4. श्री दीपक हरिहरन

बॉर्डर में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी को प्रचार्य द्वारा निम्न निर्देश दिए गए:

प्रचार्य,
शासकीय महाविद्यालय, खैरथा
जिला बालोद (छ. ग.)

1. सभी नवप्रवेशित छात्र/छात्राओं को Code of Conduct की जानकारी प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया।
2. NAAE सूच्योक्तन के अंतर्गत Code of Conduct हेतु कार्यक्रम आयोजित करने तथा पत्रानु प्रतिवेदन बनाकर प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिए गए।
3. Website को update कर महाविद्यालय की आवश्यक जानकारी, नियमों का उल्लेख वैसे जाने हेतु निर्देशित किया गया।
4. Aapka baggini से संबंधित क्लैक तथा कार्यक्रम का आयोजन करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए। महिला समस्या निवारण से संबंधित दिशा निर्देश तथा Help line No. को update करने हेतु

कार्यालय प्राचार्य, ब्राह्मकीय महाविद्यालय खैरपुर, बालोद

॥ पालन प्रतिवेदन ॥

दिनांक: 12-10-21

आज दिनांक 12-10-21 को Code of Committee

द्वारा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे -

1. श्री उमेश पाठक
2. डॉ. चन्द्रकुमार गजमिर
3. श्री अमित अग्रवाल
4. श्री कौमल रावटे
5. श्रीमती यमिनी साहू
6. श्रीमती देवप्रभा साहू

छात्रक में समिति द्वारा प्राचार्य के समक्ष निम्न पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया -

1. पूर्व छात्रक में लिए गए निर्णय अनुसार छहम वर्ष / नवप्रवेशित छात्र/छात्राओं के लिए "INDUCTION PROGRAM" का आयोजन किया गया जिसमें सभी छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय के नियमों, कार्यकुशलों तथा आयोजनों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

2. Code of Conduct & Handbook, website पर upload कर दी गई है जिसमें Teachers, Students, Administrative, Non-Administrative Staff के लिए नियमों की जानकारी प्रदान की गई है।

3. Women's Counselling Cell को No. को update कर फॉर्मों के माध्यम



से जानकारी प्रसारित की जाती है।

4. Code of Conduct Committee की
पालन प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण को प्राचार्य
द्वारा सुरक्षा छाया तथा प्रसन्नता व्यवस्था
की गई।

**Geo tagged photographs with caption
of the activities organized under the
metric for teachers, students,
administrators and other staffs**



Unnamed Road, Chhattisgarh 491771, India



Chhattisgarh

India

30°C

86°F

2021-10-11(Mon) 12:52(pm)





Unnamed Road, Chhattisgarh 491771, India



Chhattisgarh

India

30°C

86°F

2021-10-11(Mon) 12:55(pm)



Govt. College Khertha

गवर्नमेंट
कॉलेज खेरथा

Bharnabhat
भार्नाबहत

Google



Unnamed Road, Chhattisgarh 491771, India



Chhattisgarh
India

30°C
86°F

2021-10-11(Mon) 12:51(pm)



Govt. College Khertha
गवर्नमेंट
कॉलेज खैरथा

Bharnabhat
भार्नाबहत

Google



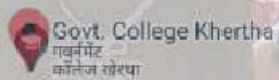
Unnamed Road, Chhattisgarh 491771, India



Chhattisgarh
India

30°C
86°F

2021-10-11(Mon) 12:56(pm)



Bharnabhat
भार्नाबहत

Google

**Handbooks, manuals and
brochures on human values
and professional ethics**

HANDBOOK ON CODE OF CONDUCT

code of conduct for students

The code depicted underneath shall apply to all sorts of conduct of students within the college premises and their off-campus mannerisms which may have serious consequences or adverse impact on the Institution's interests or reputation.

1. The student shall be regular in the classes and must complete his/her studies in the Institute.
2. Every student shall wear clean, neat and formal dress, fitted to our culture and tradition.
3. During class hours a student cannot go out of the classroom without the permission of the teacher concerned.
4. The use of mobile phones is strictly prohibited on the college campus. Student who violate this rule will have to face disciplinary action.
5. The college expects student of both sexes to foster a healthy and decent relationship both on campus and off campus. The very spirit of co-education lies in facilitating such a relationship. Any behavior contrary to this spirit is deemed unlawful and punishable.
6. During leisure hours, students are advised to use the library, and internet browsing centre.
7. Late comers are forbidden from entering the classrooms.
8. Students shall move from one classroom to another or get out of the classroom in an orderly manner, without making any noise.
9. Students should bring prescribed textbooks to the classes every day.
10. Defacing the blackboards or wall will be severely dealt with.
11. Students should handle the furniture and other properties with care. Damage to the furniture will lead to penalty or suspension from college.
12. Students should stay away from any anti-social activities.
13. Students should always wear their identity cards inside the campus daily.
14. Without the permission of the principal, Students are not permitted to circulate any printed materials or pamphlets.
15. Ragging in any form is a serious offence and it will be dealt with severely.
16. Damage fee will be collected for any damage caused by them knowingly or unknowingly.




**Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)**

17. Visitors are not allowed to meet the students in the classrooms.
18. Students should take care of their belonging. The institution will not be responsible for any loss.
19. In the event, the student is forced to discontinue studies for any legitimate reason, he/she may be relieved from the institution subject to the written consent of the college Authority.
20. In case of relieving the student, he/she shall have to clear all pending dues and if the student had joined the Institution on a scholarship, the said grant shall be revoked.
21. The college believes in promoting a safe and efficient climate by enforcing behavioral standards. All student must uphold academic integrity, be respectful to all persons, to their rights, to the college property and to the safety of other.
22. All students must deter from indulging in any and all forms of misconduct including partaking in any activity off-campus which may affect the Institute's interests and reputation substantially.
23. Any act of discrimination (physical or verbal) based on an individual's gender identity, caste, race, religion or religious beliefs, colour, region, language, disability etc.
24. Intentionally damaging or destroying Institute's property of other students and /or faculty member & Support staffs.
25. Any disruptive activities in a class rooms or in an event sponsored by the college.
26. Inability to produce the identity cards, issued by the Institution, or refusing to produce it on demand by campus security personnel.
27. Possessing, consuming, distributing, selling of alcohol in the institution and/or growing empty bottles on the campus of the Institute.
28. Parking a vehicle in a no parking zone or in the area earmarked for parking of other type of motor vehicles, cyclists.
29. Rash driving on the campus that may cause any inconvenience to others.
30. Not disclosing a pre-existing health condition, either physical or psychological which may cause hindrance to the academic progress of the student.
31. Pilfering or unauthorized access to the resources of other.
32. Misdemeanor and/ or exhibiting disruptive attitude at the time of students' body elections or during any activity of the Institute.




**Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)**

33. Engaging in disorderly, lewd or indecent conduct including, but not limited to creating unreasonable noise pushing and shoving, inciting or participating in a riotous or group disruption at the Institute.

34. Students are expected not to interview, on behalf of the Institution with media representatives or invite media persons on the campus without the permission of the Institute authorities.

35. Students are not permitted to do recording of either audio or video of the lectures delivered in class rooms, actions of other students, faculty or staff without prior remission.

36. Students are not permitted to provide audio and video clippings of any activity on the campus to print and/ or electronic media without prior permission.

37. Students are expected to be careful and responsible and exercise restraints while using the social media. They should desist from posting derogatory comments about other individuals of the Institute and refrain from indulging in such other related activities having grave ramifications on the reputation of the Institute.

38. Thievery or abuse of Institution's computers and/or other ICT instruments and Institution's services are not allowed. Unauthorized entry, tampering of property or facilities of private residences of teaching /non teaching staff, offices, classroom, LAN connectivity and other restricted facilities and interference with the work of others is punishable.

39. Causing damage to, or destruction of any property of the college, or any college or any property of others on the institution premises would invite punishment.

40. Making video/audio recording, taking photographs, or streaming audio/video of any person in a location causing thoroughfare into the person's privacy without his/her knowledge or consent, is punishable..

If there is a case against a student for any possible breach of the mentioned codes of conduct then a committee will be formed, which shall inquire into the alleged violation and accordingly recommends suitable disciplinary action against the said student. The committee may give a hearing to the student to ascertain the misconduct and suggest one or more disciplinary actions based on the nature of misconduct.




Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)

Code of conduct for Teaching Staff

Being the cadres of Chhattisgarh state Higher Education, the teachers of this college should follow the code of conduct laid down in Chhattisgarh State Government service Rules. But they are also subject to the guideline provided by UGC for college teacher. As per UGC guidelines whoever adopts teaching as a profession assumes the obligation to conduct himself/herself in accordance with the ideals of the profession.

The basic ethical values underlying the code are care, trust, integrity and respect; embodying those aspects relevant to the teacher, who is entrusted with social responsibility. A definitive code for this institution encompasses the following:

1. The uphold and upkeep the ethos of inclusiveness in terms of imparting education in the institution.
2. To protect the collective interest of different sections of the institution so that each and all can perform freely and give their highest for the institution building.
3. To institution, nourish and enforce meting equal treatment to all the stakeholders in the college so that there remains no scope of any discriminatory and disparate practice at any level within the stretch of the college.
4. To uphold and maintain the essence of social justice for all the stakeholders irrespective of their caste, creed, race, sex or religious identity as within the framework of Indian constitution.
5. To create and maintain an unbiased gender-free atmosphere within the periphery of the college so that all the stakeholders enjoy equal opportunities.
6. To generate and maintain required alertness among all the stakeholders of the college so that the chances of incident of sexual harassment get ever minimized and ultimately eradicated. (the sexual harassment of women at workplace: prevention, prohibition and redressal act, 2013 will provide the redressal measures of issues related to sexual harassment within the boundary of college campus.)




**Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)**

Code of conduct for Non-Teaching Staff

Being the employees of the Government of Chhattisgarh, all the Non-teaching Staff of this College should follow the code of conduct by the State government. The college has put forward its code of ethics for the non-teaching staff along the following lines.

Professional Conduct

1. The Non-Teaching Staff should acquaint themselves with the college policies and adhere to them to their be stability.
2. Each of them should perform the duties he has been assigned sincerely and diligently as well as with accountability.
3. They should avail of leave with prior intimation to the extent possible. In case of sudden contingencies, information on their absence should be promptly forwarded to the college Authority.
4. The Non-Teaching Staff should not, on any account, undertake any other job within the stipulated office hours. Neither shall he engage himself in any trade of business within college premises.
5. They should not hamper the functioning of the college by engaging themselves in political or anti-secular activities.
6. They should not engage in remarks or behavior that might be considered disrespectful to their non-teaching staff of students.

Workplace Conduct

1. They should be punctual as their prior presence is required daily for the commencement and smooth functioning of college activities .
2. They should also be responsible for the proper use and maintenance of college equipments and furniture.
3. No Non-Teaching Staff should be under the influence of drugs or alcohol during office hours.
4. The Non-Teaching Staff often has access to confidential information regarding examination matters relating to other staff, through official records. It is expected that they respect the confidentiality of such matters.
5. They should perform their duties with honesty and integrity. There should be no falsification of official document entrusted to them.




**Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)**

7. To initiate and propagate the spirit of welfare within all the sections of human resources attached directly or indirectly with the college and hence to build mutual confidence among them.
8. To maintain and promote academic activities in the college in all possible avenues already explored and thus encourage exploration of newer avenues for further academic pursuit.
9. To create an environment conducive for research oriented academic parleys and thus promote research activities in the institution to add further to the knowledge pool.
10. To uphold upkeep and enforce discipline in the behavioral manifestation of all the stakeholders of the institution and thus maintain campus-serenity required for academics.
11. To promote and maintain the practice of extra-curricular activities amongst the students and other human resources of the institution and thus adds to the societal dynamism simile to essence-of-life.
12. To Endeavour for the upkeep of tranquility of the region surrounding the college so that academic practices comes to gradual prevalence and only prevail, eventually.
13. To promote and maintain harmonious relationship of the college with the adjoining society in order to ensure spontaneous flourish and prosperity of all the students of the institution.
14. To Endeavour and strive for maintaining vibrancy of attitudes of all the stakeholders of the institution and thus to nourish and enhance their capabilities.

As the academic head of the institution, the Principal should ensure the existence of an academic environment within the college and should endeavor for its enrichment by encouraging research activities. Thus, the Principal should put best efforts to bring in adequate infrastructural and financial support for the college. The principal should encourage the faculty members of the Institution to take up research projects, publish research paper, arrange for regular seminar and participate in conference/symposium/workshop/seminars.




Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)

6. The Non-Teaching Staff should show no discrimination on basis of gender, caste or religion.

Professional Relationship

Interactions between Non-Teaching Staff and student are frequent as for example during counseling, admission, disbursement of financial aid, examination and so on. On a regular basis The student come into contact with Non-Teaching Staff in libraries, science laboratories and computer laboratories. It is expected that they behave in a helpful, friendly and patient manner towards the students.

1. The Non-Teaching Staff should give due respect to the decision made by the college authorities. Any matter of contention should be settled amicably and not through antagonistic behavior, as the progress of an institution depends upon mutual goodwill and trust.

2. The Non-Teaching Staff should consider the teaching staff as their colleagues and not as separate entities. It is the shared functioning that will generate a harmonious environment.

3. The Non-Teaching Staff are the first to come into contact with the guardians of students as during examinations. They must keep in mind the fact that their behavior will be considered to reflect that of the institution. They should thus interact patiently and politely.




**Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)**

स्थापना : 2008-2009

शासकीय महाविद्यालय खेरथा

जिला : बालोद (छ.ग.) 491-771

फोन : 07748-288280



शासकीय महाविद्यालय खेरथा

PROSPECTUS

मूल्य - 50.00 रु.

संचालित पाठ्यक्रम एवं अध्ययन के विषय

स्नातक स्तर :- किसी भी संकाय के प्रथम वर्ष में आधार पाठ्यक्रम हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन के अतिरिक्त निम्न समूहों में किन्हीं तीन समूहों में एक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा ।

सीट संख्या	विषय - समूह	सीट संख्या
कला संकाय (बी.ए.) - 70	विज्ञान संकाय (बी.एस.सी.) - 70	
विषय	विषय	
समाजशास्त्र	रसायन	
राजनीति शास्त्र	वनस्पति शास्त्र	
हिन्दी साहित्य	प्राणिशास्त्र	
भूगोल		
अंग्रेजी साहित्य		
वाणिज्य (बी.कॉम.) - 60	स्नातकोत्तर - 25	
	एम.ए. राजनीति विज्ञान	
विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समस्त अनिवार्य विषय समूह		
टीप :- प्रवेश लेने के बाद चयनित विषय में किसी भी स्तर परिवर्तन नहीं होगा । अतः विषयों के चयन में पूरी सावधानी बरतें ।		

प्रवेश संबंधी नियमावली

1. महाविद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश की कार्यवाही छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय की स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्ग-दर्शन सिद्धांत के आधार पर गुणानुक्रम से की जावेगी ।
2. प्रवेश-शुल्क जमा करने पर ही वैध माना जावेगा ।
3. किसी कक्षा में प्रवेश लेकर बीच में अध्ययन छोड़ देने वाले विद्यार्थी एवं एक बार अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को उसी कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।
4. दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग को छोड़कर अन्य किसी दूसरे विश्वविद्यालय से आने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश के लिये पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा मण्डल तथा सेन्ट्रल बोर्ड, नयी दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी बोर्ड से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को भी पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । यह प्रमाण-पत्र दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के द्वारा प्रदान किया जावेगा । इस हेतु निर्धारित शुल्क के साथ उत्तीर्ण परीक्षाओं के मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।



प्रवेश संबंधी अन्य जानकारी के लिए संस्था के सूचना पटल का अवलोकन करें । निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा करने पर आवेदन स्वः निरस्त हो जायेगा ।

[Signature]
Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)

6. अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी प्रवेश आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा उन्हें छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
7. क्रीड़ा क्षेत्र के प्रतिभामान छात्रों को नियमित अभ्यास एवं प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था के साथ प्राथमिकता दी जावेगी।
8. महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र को समग्र निर्धारित नियमों एवं परिनियमों का पालन करने के साथ-साथ कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता

सामान्य नियम

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग वाली गाली गलौच, मारपीट या आपनेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं शालीनता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल व निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में झुंझ-उधर थूकना, दीवालों को गन्दा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा का आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनैतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।



अध्ययन संबंधी नियम

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.एस.एस. में भी लागू होगी। अन्यथा उसी वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से सम्बन्धित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाइट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई, परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होंगे की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

1. यदि छात्र किसी अनैतिकतामूलक गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय-सीमा में शुल्क भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा, अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेगा।



छात्र-छात्राओं हेतु सुविधायें

1. विद्यार्थी सहायता निधि : गरीबी रेखा के नीचे के आय समूह के जरूरतमंद विद्यार्थियों को इस निधि से उपलब्धता एवं संबंधित शिक्षक समिति की अनुशंसा के आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।
2. छात्रवृत्ति : महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग विद्यार्थियों को शासन की योजनाओं के अनुरूप छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ।
3. पुस्तकालय एवं वाचनालय : इस महाविद्यालय के पुस्तकालय एवं वाचनालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें, पत्रिकाएँ, समाचार पत्र आदि विद्यार्थियों हेतु उपलब्ध है ।
4. Girls Common Room : इस महाविद्यालय में छात्राओं के लिए Girls Common Room की व्यवस्था है ।
5. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ : इस प्रकोष्ठ के लिये शिक्षकों की एक समिति गठित की जाती है, जो विद्यार्थियों से प्राप्त विभिन्न तरह की शिकायतों का निवारण करती है ।
6. महिला परामर्श प्रकोष्ठ (Woman Conselling Cell) : इस महाविद्यालय के विशेषज्ञों की एक समिति महिलाओं से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर परामर्श (Conselling) के द्वारा मार्गदर्शन करती है ।
7. चिकित्सा सुविधा : महाविद्यालय के विज्ञान, एन.एस.एस. के छात्रों द्वारा चिकित्सक के मार्गदर्शन में महाविद्यालय की छात्राओं का सामान्य परीक्षण कराया जाता है । महाविद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा (First aid) की भी व्यवस्था है ।
8. खेलकूद : छात्राओं के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास के लिए महाविद्यालय में खेलकूद से सम्बन्धित विविध गतिविधियों के लिए प्राध्यापकों की एक समिति गठित की जाती है । महाविद्यालय द्वारा खेलकूद संबंधी सुविधाओं का विवरण निम्नलिखित है -

खेल मैदान :- लगभग 4 एकड़

(अ) आउटडोर : क्रिकेट, एथलेटिक्स, खो-खो, वालीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिन्टन, कबड्डी

(ब) इन्डोर : कैरम, शतरंज



[Signature]
Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)

9. रेमेडियल / ट्यूटोरियल / विशेष कक्षाएं : इस महाविद्यालय के प्राध्यापकों के द्वारा हर कक्षा के कमजोर एवं देदीप्यमान छात्रों को पहचान कर उनके लिए आवश्यकता अनुसार रेमेडियल / ट्यूटोरियल / विशेष कक्षाएं ली जाती हैं ।
10. अतिथि व्याख्यान : महाविद्यालय में विभिन्न विषयों में व्याख्यान हेतु विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है ।

शैक्षणिक गतिविधियाँ

N.S.S. (राष्ट्रीय सेवा योजना) : इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सेवा की भावना विकसित कर उनके व्यक्तित्व का विकास करना है ।

गतिविधि समितियाँ (Activity Committee) : विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिये इस महाविद्यालय में निम्नलिखित समितियाँ का गठन किया जाता है ।

1. सांस्कृतिक समिति (Cultural Committee)
2. सामाजिक गतिविधि समिति (Social Activity Committee)
3. विज्ञान समिति (Science Committee)
4. क्रीड़ा समिति (Sports Committee)
5. लैंगिक मामलों की समिति (Gender Issue Committee)
6. पर्यावरण समिति (Eco Committee)
7. अनुशासन समिति (Discipline Committee)
8. एंटीरेगिंग समिति (Antiraging Committee)
9. भौतिक सत्यापन समिति (Cultural Committee)
10. रेडक्रॉस समिति (Redcross Committee)

शैक्षणिक भ्रमण : महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं को उनके विषय का व्यावहारिक ज्ञान देने हेतु भ्रमण के लिए लाया जाता है ।

संगोष्ठी / कार्यशाला / वाद-विवाद / प्रश्नमंच / विज्ञान प्रदर्शनी : स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्राओं के बहुमुखी विकास के लिए समय-समय पर विभिन्न विषयों पर संगोष्ठी / कार्यशाला / वाद-विवाद / प्रश्नमंच / पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन इस महाविद्यालय में किया जाता है ।

पूर्व विद्यार्थी समिति (Alumni Association) : राष्ट्र, राज्य एवं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुकी एवं योगदान देने वाली इस महाविद्यालय के पूर्व छात्र-छात्राओं का यह संगठन विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श, अनुभव एवं स्मृतियों को आपस में बाँटता है एवं इस महाविद्यालय के विकास में अपना योगदान देता है ।



शिक्षक पालक समिति : पालकों एवं शिक्षकों के बीच विचारों के आदान-प्रदान, विद्यार्थियों के विकास एवं समस्याओं के समाधान के लिये पालक शिक्षक समिति गठित की जाती है, जिसकी बैठक वर्ष में अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर के तीसरे शनिवार को 3.00 बजे दोपहर को आयोजित की जाती है।

एन्टी रैगिंग समिति : महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले कनिष्ठ विद्यार्थी को वरिष्ठ विद्यार्थी द्वारा किसी भी तरह से परेशान न किया जावे इस हेतु महाविद्यालय में एन्टी रैगिंग समिति गठित की जाती है, जो इस हेतु सावधानीपूर्वक निगरानी रखती है। महाविद्यालय में रैगिंग संबंधी कोई समस्या नहीं है। फिर भी सावधानी के दृष्टिकोण से यह समिति गठित की जाती है।

पुरस्कार वितरण समारोह : वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर मेधावी छात्राओं को शिक्षकों की एक समिति के द्वारा अनुशासित विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

आंतरिक मूल्यांकन प्रकोष्ठ : इस महाविद्यालय में प्राचार्य द्वारा आंतरिक मूल्यांकन प्रकोष्ठ के लिए प्राध्यापकों की एक समिति गठित की जाती है। इस समिति के द्वारा हर माह होने वाली यूनिट टेस्ट, तिमाही एवं छःमाही परीक्षाएँ संचालित की जाती है। इसके अतिरिक्त छात्रों के विभिन्न शिक्षणोत्तर गतिविधियों का भी मूल्यांकन करती है।

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता -

1. प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य।
2. कुल सात आंतरिक परीक्षाओं में से कम से कम पाँच में सम्मिलित होना आवश्यक है।
3. एन.एस.एस. कैम्प/खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में सम्मिलित हुए छात्रों की उपस्थिति माना जावेगा।
4. उपस्थिति की प्रथम गणना 31 अक्टूबर तक की जावेगी।
5. कम उपस्थिति वाले छात्रों को सूचना पटल पर सूचना दी जावेगी।
6. उपस्थिति की द्वितीय गणना 17 फरवरी तक की जावेगी।
7. विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इने अतिरिक्त शुल्क ले सकेंगे।




Principal,
Govt. College, Khertha
Dist. Balod (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय खेरथा जिला-बालोद छ0ग0
क0 374/2017 खेरथा दिनांक 15/12/2017

प्रति,

चौकी प्रभारी,
चौकी संजारी,
जिला बालोद छ0ग0।

विषय:- परीक्षा अवधि में सुरक्षा प्रदान करने बाबत ।

विषयांतर्गत लेख है कि दुर्ग विश्वविद्यालय दुर्ग छ0ग0 द्वारा एम0ए0 राजनीति विज्ञान प्रथम/तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा दिनांक 20/12/2017 से दिनांक 4/12/2018 तक आयोजित है ।
उपरोक्त समयावधि में सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने का कष्ट करें ।
धन्यवाद !

संलग्न:- समय सारणी

पृ0क0 375/2017

प्रतिलिपि:-

1. जिला अधीक्षक, जिला बालोद छ0ग0 ।

(डॉ0 आलोक मिश्रा)
प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय खेरथा
जिला-बालोद छ0ग0

खेरथा दिनांक 15/12/2017

(डॉ0 आलोक मिश्रा)
प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय खेरथा
जिला-बालोद छ0ग0



20/12/17

Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय खेरथा, जिला - बालोद (छ.ग.)

email:- govtcollege_khertha@rediffmail.com

http://www.govtcollegekhertha.in

खेरथा, दिनांक 04/06/2021

// सूचना //

समस्त बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष के नियमित अमहाविद्यालयीन, भूतपूर्व एवं पूरक छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि हेमचंद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा 2020-21 की उत्तरपुस्तिका निम्नांकित तिथियों में महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करे।

उत्तर पुस्तिका जमा करने हेतु आवश्यक निर्देश

- (1) जिन छात्र/छात्राओं ने परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कापी जमा नहीं किया है वे पिछली परीक्षाओं की अंकसूची की छायाप्रति एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ महाविद्यालय में परीक्षा आवेदन की हार्डकापी जमा करेंगे।
- (2) उत्तरपुस्तिका में हेमचंद विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कवर पेज लगाना अनिवार्य है। कवर पेज में नाम कक्षा, रोल नं., प्रश्न पत्र का कोड अवश्य अंकित करें।
- (3) उत्तर पुस्तिका जमा करते समय परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है। तथा निर्धारित स्थान पर उत्तर पुस्तिका जमा कर हस्ताक्षर अवश्य करें।
- (4) उत्तरपुस्तिका जमा नहीं करने पर उक्त परीक्षार्थी को अनुपस्थित माना जायेगा। निर्धारित तिथि के पश्चात उत्तर पुस्तिका जमा नहीं ली जावेगी।
- (5) उत्तर पुस्तिका जमा करते समय मास्क एवं सेनेटाईजर का उपयोग करे एवं निर्धारित काउन्टर पर निश्चित दूरी बनाकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करें।

नोट :- शासन द्वारा जारी कोविड 19 प्रोटोकॉल तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें।




Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)


(यासर कुरैशी)
प्र. प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय खेरथा
जिला बालोद

Provide Web-Link to the relevant documents at HEI website

<http://govtcollegekhertha.in/College.aspx?PageName=Code%20of%20Conduct>